हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्यान विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2022–23

(01.04.2022 से 31.03.2023)

उद्यान निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

नवबहार, शिमला–171002

विषय सूची

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1–4
2.	उद्देश्य व सामयिक नीति	5–6
3.	प्रशासनिक संरचना तथा कार्य प्रणाली	7–11
4.	बज़ट	12–14
5.	उद्यान विकास एवं प्रसार	15–24
6.	केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें	25–29
7.	फल पौध पोषण	30–32
8.	उद्यान विपणन	33–36
9.	पौध संरक्षण	37–38
10.	मौन पालन	39
11.	पुष्प उत्पादन	40–41
12.	फल विधायन एवं परिरक्षण	42–43
13.	खुम्ब उत्पादन	44–45
14.	उद्यान सूचना सेवा	46–47
15.	उद्यान अर्थ एवं सांख्यिकी	48–49
16.	बागवानी विकास हेतु विश्व बैंक पोषित, हिमाचल प्रदेश उद्यान विकास परियोजना	50–52
17.	हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्यवर्धन परियोजना (एचपी शिवा)	53–56
18.	सूचना एवं प्रोद्योनिकी	57–58
19.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	59–60
20.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 उप–धारा (i) नियम (b) सूचना का अधिकार के अन्तर्गत सूचना।	61–67

अध्याय–1

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के नाते यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि बागवानी है। बागवानी द्वारा प्रदेश में कृषि क्षेत्र के व्यवसायीकरण में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं विविध जलवायु, अनेक प्रकार के फलों के उत्पादन के लिये उपयुक्त है। यहां शीतोष्ण से लेकर उपोष्णीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाले 40 प्रकार के फलों का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ने फलों के उत्पादन में पिछले कुछ दशकों में प्रशंसनीय प्रगति की है, जिसके कारण इस प्रदेश को फल राज्य के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा है। फल उत्पादन से यहां के कृषकों का जीवन स्तर भी काफी ऊंचा हुआ है। राज्य ने देश में 'सेब राज्य' के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है तथा अब यह 'भारत का बागवानी राज्य' बनने की ओर निरन्तर अग्रसर है। प्रदेश में सेब के अतिरिक्त अन्य फल जैसे कि आम, लीची, नीम्बू प्रजाति के फल, पलम, आड़ू, नाशपाती, चैरी, जापानी फल, बादाम, अखरोट, पीकान नट, जैतून आदि की व्यवसायिक बागवानी की जा रही है। कीवी फल, स्ट्रॉबैरी, अनार, कटहल, गोल्ड कीवी, एवोकेडो, ड्रैगन फल, ब्लूबेरी, आम की बौनी, लाल तथा पीली, हर वर्ष फल देने वाली तथा देर से पकने वाली किस्मों, पपीता जैसी फल–फसलों ने बागवानी के क्षेत्र में एक नई आशा जगाई है। फलोत्पादन में हिमाचल प्रदेश इसलिये भी लाभ की स्थिति में है क्योंकि यहां के आम, लीची, अमरूद व नीम्बू प्रजातीय फल मैदानों की अपेक्षा कुछ समय के बाद पकते हैं। फलस्वरूप उत्पादकों को अच्छे दाम प्राप्त हो रहे हैं।

प्रदेश में उपलब्ध जलवायु में इतनी विविधता है कि फलों के अतिरिक्त पुष्प एवं सब्ज़ियों की खेती की भी अपार सम्भावनाएं हैं। यहां की जलवायु न केवल पुष्प उत्पादन के लिये अनुकूल है बल्कि प्रदेश के कई जिलों में फूलों का उत्पादन उस समय होता है जबकि अन्य प्रदेशों में फूल उपलब्ध नहीं होते। इसके अतिरिक्त प्रदेश में खुम्ब उत्पादन, मधुमक्खी पालन तथा मसालों की खेती की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बागवानी मिशन के अन्तर्गत सब्जी उत्पादन के कार्य को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

वर्ष 2022–23 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में गुणवत्तायुक्त 13.42 लाख फलदार पौधों का वितरण किया गया तथा 3641.55 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र बागवानी के अन्तर्गत लाया गया। बागवानों की फल पौधों की मांग यदि विभागीय फल पौधशालाओं, डॉ0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय तथा प्रदेश की निजी पंजीकृत पौधशालाओं में उत्पादित फल पौधों से अधिक हो तो विभाग द्वारा राज्य के बाहर से भी उनकी आपूर्ति सुनिश्चित् की जाती है। विभिन्न किस्मों के फलदार पौधे जिसमें सेब, आम, लीची, आंवला, आड़ू, जापानी फल, पीकान नट, बादाम, नाशपाती, कीवीफल, स्ट्रॉबैरी, अनार इत्यादि की उन्नत प्रजातियों के फल पौधे वितरित किये जा रहे हैं। इस वर्ष में प्रदेश के कुल 2.36 लाख है0 क्षेत्र जो बागवानी के अन्तर्गत है तथा 8.15 लाख मी0 टन फलोत्पादन हुआ जिसमें मुख्यतः सेब का योगदान है।

फलदार पौधों में पोषक तत्त्वों की वस्तुस्थिति ज्ञात करने के लिये पत्ती विश्लेषण विधि का प्रयोग विश्व भर में व्यापक रूप से किया जा रहा है। हिमाचल में भी बागवानों को यह सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1974 से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ राज्य मेंएकीकृत कीट प्रबन्धन कार्यक्रम के दृष्टिगत रझाणा (शिमला) स्थित जैव नियंत्रण प्रयोगशाला से लाखों मित्र कीट सेब, आड़ू, अनार और नीम्बू प्रजातीय फलों के कुछ नाशीजीवों के नियन्त्रण हेतु बागीचों में छोड़े गयेतथा 608.52 हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित किया गया।

हिमाचल प्रदेश सरकार फल उत्पादकों विशेष कर सेब बागवानों के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए कृतसंकल्प है। हमारे बागवान पहले से चली आ रही सेब की किस्मों तथा पौधारोपण पद्धति के साथ–साथ अब उन्नत किस्मों के सेब के उच्च घनत्व वाले बगीचे लगाकर विशेषकर सेब का उत्पादन भी कर रहे हैं ताकि बाज़ार में वे अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। लेकिन बाज़ार में विदेशी सेब की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें विपणन के मौजूदा अंतरराष्ट्रीय प्रचलित मापदण्डों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि बागवान सेब को निर्धारित पैकिंग की क्षमता के अनुसार ही भरें। अतः सेब के अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानकों को पूर्ण रूप से अपनाया जाना, सभी के लिए आवश्यक तथा लाभप्रद है। हिमाचली सेब को देश–विदेश की प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिये बागवानों को सेब, निर्धारित की गई पैकिंग की क्षमता के मुताबिक ही भरना होगा। बागवानों की सेब की बड़ी पैकिंग चौबिस किलो (24 कि.ग्रा.) तथा छोटी पैकिंग पेटी सहित बारह किलो (12 कि.ग्रा.) से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि बागवान निर्धारित की गई पैकिंग क्षमता के आधार पर फलों का विपणन करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें मंडी में भी बेहतर दाम मिलेंगे।

बाज़ार में विपणन योग्य बहुतायत में आने वाले फलों (**MarketableSurplus of fruits**) के उपयोग के लिये सरकार ने दृढ़ नीति बनाई है। बागवानों को उनकी फल फसल के उचित दाम दिलाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में भी सेब, किन्नू, माल्टा, सन्तरा एवं गलगल फलों का प्रापण किया गया। इसमें जहां एक ओर फल विधायन उद्योग में विविधता लाने के लिये फलों पर आधारित वाईन व साईडर जैसे पेय पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक डिब्बाबन्दी इकाईयों की स्थापना तथा इसके माध्यम से घरेलू स्तर पर फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण का प्रशिक्षण देना सम्मिलित है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत बागवानी के समेकित विकास हेतु हिमाचल प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित् किया जा रहा है। बागवानी मिशन के अन्तर्गत फल पौधशालाओं, जल संसाधनों का निर्माण, बागवानी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार, हरित गृहों में संरक्षित खेती, जैविक खेती, मशीनीकरण (यंत्रीकरण), फसलोत्तर प्रबन्धन, फल विपणन तथा फल विधायन जैसे अनेक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बागवानी मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 से अब तक कुल ₹1944.00 करोड़ विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्त किये गये जिसमें से ₹1548.3 करोड़ की धनराशि से प्रदेश के 3545 बागवानों को लाभान्वित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2007–08 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' (Rashtriya Krishi Vikas Yojna) भी उद्यान विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसके द्वारा औद्यानिकी विकास एवं अनुसन्धान हेतु अनेक परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 2022–2023 में औद्यानिकी विकास की परियोजनाओं हेतु कुल ₹ 261.50 लाख की धन राशि स्वीकृत की गई हैं।

हाल के वर्षों में देखा गया है कि ग्लोवल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से अप्रत्याशित मौसम की स्थिति उत्पन्न हुई है। हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ही संवेदनशील है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं अधिक से अधिक गम्भीर और बार–बार घटित हो रही हैं। यह फल फसलों को गम्भीर नुकसान पहुंचा रही है और राज्य में बागवानी उद्योग की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। फल फसलें प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, और फसल बीमा योजना इन प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए विकल्पों में से एक है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रायोगिक आधार पर रबी मौसम 2009–10 के दौरान सेब के लिए 6 अंतर्गत विकासखंड और आम के लिए 4 विकास खंड में ''मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS)'' शुरू की थी। किसानों से उत्साह जनक प्रतिक्रिया मिलने तथा इसके सफल कार्यान्वयन से इस योजना के तहत कवरेज फलों के क्षेत्रफल साल दर साल बढ़ रहा है। वर्तमान में इस योजना को सेब के लिए 42 विकास खंडों, आम के लिए 40 विकास खंडों, पलम के लिए विकास खंडों, आड़ू के लिए विकास खंडों और नीम्बू वर्गीय फलों के लिए 18 विकास खंडों में **पुनर्गठित–मौसम आधारित फसल बीमा योजना** को दिशा–निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। ओलावृष्टि (Add-on/Index-plus) जैसे अतिरिक्त मौसमी कारकों को भी सेब उगाने वाले सभी जिलों में इस योजना में सम्मिलित तथा लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत केवल उन बागवानों को सम्मिलित किया गया है जो पहले से ही रबी सीज़न में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा करवा चुके थे।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 61,625 बागवानों ने बीमा करवाया तथा 60,850 तथा प्रभावित बागवानों को ₹ 68.94 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान किया गया। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 34.06 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

प्रदेश सरकार ने ओला वृष्टि जैसी आपदा से फल फसलों को बचाने हेतु ओला अवरोधक जालियों के लिए बागवानों को दिये जा रहे अनुदान की राशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक किया है। किसानों को उनकी सीमित कृषि योग्य भूमि से अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु उद्यान विभाग संरक्षित खेती को निरन्तर प्रोत्साहन दे रहा है। हरित गृह निर्माण के लिए किसानों को दिये जा रहे उपदान को भी 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत तक किया गया है। इसी प्रकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए लघु सिंचाई हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अन्तर्गत बागीचों में टपक एवं फव्वारा सिंचाई हेतु बागवानों को 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।

बागवानों से सीधा संवाद स्थापित करने, नवीनतम् तकनीक के स्थानान्तरण तथा मौके पर उनकी समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से उद्यान प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को नवीनतम् तकनीक पहुंचाने हेतु जिला, राज्य तथा राज्य के बाहर औद्यानिकी के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है तथा मानव संसाधन विकास हेतु तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से अवगत करवाया जाता है।

बागवानी विकास हेतु विश्व बैंक पोषित, हि0 प्र0 उद्यान विकास परियोजना, प्रदेश में वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ की गई है। यह परियोजना कुल ₹ 1065 करोड़ से सात वर्षों में कार्यान्वित की जानी है, जिसका मुख्य उद्देश्य चिन्हित बागवानी उत्पादों तथा फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं विपणन हेतु आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना, लघु किसानों व कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2022–23 तक उन्नत किस्म के सेब, अखरोट, चैरी, नाशपाती, पलम, आड़ू आदि के 30.22 लाख पौधे व मूलवृंत आयात किए गये हैं जिन्हें प्रारम्भ में उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश के चिन्हित फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों के फार्म में क्वारंटाइन हेतु लगाया गया। इनमें से वर्ष 2022–23 में 2.13 लाखपौधे बागवानों में वितरित किए गए हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पृथक रूप से अब तक 28887 फल पौधे परियोजना के अन्तर्गत बागवानों में वितरित किए गए है।

उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना – प्रति बूंद, अधिक फसल उत्पादन मद् के अन्तर्गत किसानों एवं बागवानों को विभिन्न प्रकार की सहायतायें एवं सुविधायें प्रदान कर रहा है। सूक्ष्म सिंचाई योजना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लघु एवं सीमांत किसानों/बागवानों (Small & Marginal Farmers) को 80 प्रतिशत अनुदान (50 प्रतिशत भारत सरकार + 30 प्रतिशत प्रदेश सरकार) अधिकतम 2.0 हैक्टेयर प्रति बागवान तथा बड़े किसानों/बागवानों को 45 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 5.0 हैक्टेयर प्रति

बागवान का प्रावधान है। प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना – प्रति बून्द, अधिक उत्पादन के अन्तर्गत 2150 किसानों/बागवानों को 320 लाख रु0 खर्च कर लाभान्वित किया गया।

प्रदेश में किसानों की खुम्ब उत्पादन में बढ़ती रूचि को देखते हुए हिमाचल खुम्ब विकास योजना का शुभारंभ किया गया तथा वर्ष 2022–23 में इस योजना के तहत 192.15 लाख खर्च कियेगए।

प्रदेश में बागवानी विकास को और अधिक गति प्रदान करने के लिए नई योजनाएं– हि0प्र0 पुष्प क्रान्ति योजना, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, ओला अवरोधक जालियां की स्थापना तथा मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना 2017–18 में आरम्भ की गई हैं।

बागवानी विकास के लिय कठिनाइयों के बावजूद प्रदेश में आधुनिक तकनीक द्वारा प्रति इकाई अधिक फलोत्पादन व गुणवत्तायुक्त फल पैदा करने की अपार सम्भावनायें हैं। भारतीय अर्थनीति के उदारीकरण और वैश्वीकरण ने हिमाचली मूल के फलों को अन्य देशों में निर्यात करने के अवसर बढ़ा दिए हैं। बागवानी सम्बन्धी गतिविधियों को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करने, संसाधनों का सुनिश्चित उपयोग करने तथा बागवानी में विविधता तथा एक बड़ा बदलाव लाने के लिये उद्यान विभाग प्रयासरत है।

अध्याय–2

उद्देश्य व सामयिक नीति

फल राज्य से बागवानी राज्य की ओर अग्रसर हिमाचल प्रदेश ने औद्योनिकी विकास के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। बागवानी का प्रदेश की सकल आय में महत्त्वपूर्ण योगदान देखते हुये 21 सितम्बर, 1970 को उद्यान विभाग अस्तित्व में आया। विभाग द्वारा प्रदेश की जलवायु एवं भूमि की विविधता के मध्यनज़र बागवानी के विविधीकरण और बदलाव की ओर विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में अनुसन्धान एवं विकास, फलोत्पादन तथा उत्पादकता एवं फसलोत्तर प्रबन्धन के लिए सुस्थापित ढांचा विकसित किया गया तथा किया जा रहा है।

प्रदेश के बागवानों की आर्थिकी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा बागवानी विकास की अन्य योजनाओं के साथ–साथ संरक्षित व जैविक खेती, जल संग्रहण, बागीचों का जीर्णोद्धार तथा बागीचों में सिंचाई सुविधा (टपक व फव्वारा सिंचाई प्रणाली) की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बागवानी के विकास हेतु उद्यान विभाग द्वारा जो उद्देश्य तथा सामायिक नीति बनाई गई है, वह इस प्रकार हैः–

1. <u>उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ानाः</u>

- स्थानीय जलवायु, भूमि और जल स्त्रोतों के अधिकाधिक दोहन तथा संरक्षण (<u>Rejuvenation</u>) करके बागवानी का सतत विकास।
- मैदानी एवं निचले क्षेत्रों की बंजर भूमि जहां पर बागवानी की अधिक क्षमता है, का समुचित विकास करना।
- पुरानी किस्मों के स्थान पर नई स्वतः फल देने वाली फसलों को लगाना तथा आधुनिक बागवानी द्वारा उत्पादकता बढ़ाना।
- संरक्षित खेती के अन्तर्गत कम मात्रा/आयतन/भार लेकिन अधिक आय वाली फसलों–फूलों तथा सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना ।
- ओला अवरोधक जालिओं को बढ़ावा देकर फसल को ओले के प्रकोप से बचाना।
- उत्तम पौध के संवर्धन हेतु फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान तथा पौधशालाओं को विकसित करना।
- गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री के लिये ''पौधशाला पंजीकरण अधिनियम'' के अन्तर्गत पौधों को लगाने हेतु उन्नत किस्मों के कीटव्याधि मुक्त पौधों को उपलब्ध करवाना।
- जलवायु परिवर्तन एवं कृषि मौसम क्षेत्र के बदलने/परिवर्तन की स्थिति के अनुरूप बागवानी में विविधता लाना।
- स्वरोज़गार हेतु खुम्ब उत्पादन तथा मौन पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- फलों की आधुनिक खेती, जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई, एकीकृत कीट प्रबन्धन, एकीकृत पोषण प्रबन्धन तथा संरक्षित खेती को प्रोत्साहन देना।
- प्रदेश के निचले पहाड़ी क्षेत्र जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां आम की इन–सीटू पद्धति द्वारा पौध रोपण का अभियान चलाना।

2. **तकनीकी हस्तांतरण द्वारा कौशल विकासः**

- इलैक्ट्रॉनिक जैसे रेडियो,दूरदर्शन इत्यादि माध्यम, प्रशिक्षण शिविर/कार्यक्रम, संगोष्ठी, कार्यशाला, अध्ययन भ्रमण और प्रदर्शनियों द्वारा आधुनिक तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना/अवगत करवाना।

3. **फसलोत्तर प्रबन्धन/सुधारः**

- National Horticulture Board (NHB), Directorate of Market &Inspection (DMI), National Cooperative Development Corporation (NCDC), Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)तथाNational Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED) के सहयोग से निजी उद्यमियों को ढांचागत आधुनिक पैकिंग ग्रेडिंग हाऊस (शीत गृह/भण्डार/वातानुकूलित भण्डार/कोल्ड चैन) की स्थापना के लिये आकर्षित एवं प्रोत्त्साहित करना।
- पुष्प एवं खुम्ब जैसे शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद (निजी तथा सहकारी/सहकारी क्षेत्र) के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने हेतु बल देना।

4, **विपणन तथा विधायन :**

- पैकिंग की वैकल्पिक व्यवस्था व बागवानों को उनकी प्रमुख फल फसलों के लाभकारी मूल्य दिलवाने हेतु मण्डी मध्यस्थता योजना को लागू करने की नीति।
- उद्योगों में उद्यान उत्पादों को बढ़ावा देना।
- फलों पर आधारित उत्पाद का निर्माण कर फल विधायन में विविधता लाना।
- फल विधायन उद्योगों को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक डिब्बाबन्दी सेवा, सुविधायें उपलब्ध करवाना।

5. **प्रशासनिक सुधार** :

- तकनीकी तथा सहयोगी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खाली पदों को क्षेत्रीय स्तर पर भरना।
- खण्ड स्तर पर कम्पयूटरीकृत तथा नैटवर्किंग द्वारा कार्य की गुणवत्ता तथा कुशलता को बढ़ावा देना।

अध्याय–3

प्रशासनिक संरचना एवं कार्य प्रणाली

हिमाचल प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में बागवानी का महत्त्वपूर्ण योगदान हैं। वर्तमान में माननीय राजस्व, बागवानी व अनुसूचित जनजातीय विकास मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी के मार्गदर्शन में उद्यान विभाग प्रगति की ओर अग्रसर है। इस वित्तीय वर्ष में जो अधिकारी विभिन्न स्तर पर विभाग में कार्यरत रहे, उनका ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

सचिवालय स्तरः

1. श्री अमिताभ अवस्थी, सचिव (उद्यान) हिमाचल प्रदेश
2. डॉ विक्रम सिंह नेगी, संयुक्तसचिव (उद्यान) हिमाचल प्रदेश
3. श्रीमती निशा कश्यप, अप्पर सचिव (उद्यान) हिमाचल प्रदेश
4. श्री राजेन्द्र सिंह नेगी, अनुभाग अधिकारी (उद्यान) हिमाचल प्रदेश

निदेशालय स्तरः

निदेशकः

श्री संदीप कदम आई0ए0एस0 एवं डॉ आर0 के0 परूथी,आई0ए0एस0–निदेशक उद्यान विभाग

संयुक्त निदेशकः

1. डॉ0 हेमचंद शर्मा – परियोजना निदेशक (एकीकृत बागवानी विकास मिशन)
2. डॉ देश राज शर्मा, नोडल अधिकारी, परियोजना कार्यान्वयन इकाई हि0 प्र0 बागवानी विकास परियोजना
3. डॉ0 सुभाष चन्द, डॉ0 हेम चन्द, डॉ0 जी0 एस0 झोबटा–संयुक्त निदेशक

अन्य तकनीकी अधिकारीः

1. डॉ देवेन्द्र ठाकुर–परियोजना निदेशक (एच0 पी0 शिवा)
2. डॉ नरदेव कुमार ठाकुर व डॉ दीपक गुप्ता –उप निदेशक उद्यान (सूचना)
3. डॉ देवेन्द्र ठाकुर व डॉ राजेश चौधरी–उप निदेशक उद्यान (योजना)
4. डॉ के0 के0 सिंहा व डॉ0 प्रबल चौहान–वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी
5. डॉ दीपक गुप्ता–आहरण एवं वित्तरण अधिकारी, निदेशालय एवं प्रोक्योरमेंट अधिकारी, शिवा प्रोजेक्ट
6. डॉ सुदर्शना नेगी –वरिष्ठ विपणन अधिकारी
7. डॉ भूपेन्द्र सिंह नेगी – विषय विशेषज्ञ उद्यान (उप महाप्रबंधक पौधशाला प्रबंधन समिति)
8. डॉ रजंन शर्मा– विषय विशेषज्ञ उद्यान (पुष्प उत्पादन)
9. डॉ ऋचा शर्मा – विषय विशेषज्ञ उद्यान(एकीकृत बागवानी विकास मिशन)
10. डॉ मनोज शर्मा –विषय विशेषज्ञ उद्यान (सहायक प्रोक्योरमेंट अधिकारी, शिवा प्रोजेक्ट)

निदेशालय स्तर के अन्य अधिकारी वर्गः

1. श्री नवीन राठौर –प्रशासनिक अधिकारी
2. श्री राजपाल थांटा–सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)
3. श्री रणवीर नेगी– अधीक्षक ग्रेड–I, बजट शाखा–V
4. श्री सालीग राम शर्मा– अधीक्षक ग्रेड–I, शाखा–I (ए)
5. श्री रमेश चंद– अधीक्षक ग्रेड–I, शिवा प्रोजेक्ट
6. श्री प्रेम सिंह ठाकुर– अधीक्षक ग्रेड–II, लेखा शाखा–II (ए)
7. श्री बिनोद कुमार चौहान– अधीक्षक ग्रेड–II, आडिट शाखा–III
8. श्री दलीप कुमार– अधीक्षक ग्रेड–II, का0 वरिष्ठ पौध सरंक्षण अधिकारी
9. श्री दिनेश भंडारी/ श्री लोभी राम– अधीक्षक ग्रेड–II, स्थापना शाखा–I (बी)
10. श्री ओकार नाथ वालिया– अधीक्षक ग्रेड–II, आर0 टी0 आई0 सैल
11. श्री देवेन्द्र वर्मा/श्री मोहन लाल– अधीक्षक ग्रेड–II, लेखा शाखा–I (बी)

निदेशालय स्तर पर प्रशासनिक तथा अन्य तकनीकी कार्यों को सुचारू रूप से निपटाने हेतु 11 शाखाएं स्थापित की गई हैं, जिनका विवरण इस प्रकार हैः–

1. स्थापना प्रभाग – उद्यान–I, 2. लेखा व व्यय प्रभाग – उद्यान–II, 3. लेखा परीक्षा प्रभाग– उद्यान–III, 4. तकनीकी योजना प्रभाग– उद्यान–IV, 5. बजट एवं लेखा समाधान प्रभाग– उद्यान–V, 6. फल विधायन एवं परिरक्षण– उद्यान–VI, 7. उद्यान अर्थ एवं सांख्यिकी– उद्यान–VII, 8. उद्यान विपणन तथा फसलोत्तर प्रबन्धन– उद्यान–VIII 9. उद्यान सूचना सेवा– उद्यान–IX, 10. फल पौध पोषण– उद्यान–X एवं11. पुष्प उत्पादन– उद्यान–XI

बागवानी सम्बन्धी कार्यों के तीव्र गति से कार्यान्वयन हेतु प्रदेश को दो क्षेत्रों में बांटा गया है–उत्तरी क्षेत्र व दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में जिला कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू तथा लाहौल–स्पीति का लाहौल उप–मण्डल सम्मिलित है। उत्तरी क्षेत्र में औद्यानिकी गतिविधियों की देख–रेख अतिरिक्त निदेशक उद्यान, धर्मशाला द्वारा की जाती हैं। दक्षिणी क्षेत्र में जिला शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, मण्डी, किन्नौर तथा लाहौल–स्पीति का स्पीति उप–मण्डल सम्मिलित हैं तथा इनकी देख–रेख का कार्य सीधे निदेशक उद्यान के पास है। निदेशक उद्यान विभाग, राज्य में उद्यान विकास की गतिविधियों को सीधे संचालित/नियन्त्रित करते हैं। अन्य अधिकारी निदेशक उद्यान विभाग के समग्र नियन्त्रण में अपने–अपने क्षेत्र में कार्यों की देखरेख करते हैं।

जिला स्तर पर समस्त बागवानी विकास की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिये प्रदेश के 12 जिलों में उप–निदेशक उद्यान नियुक्त किए गए हैं जबकि विकास खण्ड स्तर पर बागवानी विकास कार्य विषय विशेषज्ञ उद्यान/उद्यान विकास अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। ग्राम स्तर पर दो से पांच ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करके वृत्त गठित किए गए हैं, उनमें एक उद्यान प्रसार अधिकारी कार्यरत है जो विभाग का मूल/आरंभिक स्तर का कार्यकर्ता है। विभाग में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

श्रेणी	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कुल भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
I	377	235	142
II	34	27	7
III	897	526	371
IV	1136	708	428
कुल योग..	**2444**	**1495**	**949**

वर्ष 2022–23 में विभाग के प्रशासनिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण तथा कार्य को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये कुछ पदों को सीधी भर्ती, पदोन्नति/प्लेसमैन्ट, अनुकम्पा द्वारा भरा गया। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध/दैनिक श्रमिकों को नियमित भी किया गया। विवरण निम्न प्रकार से हैः

क्र. सं.	कार्य का विवरण	श्रेणी– I	श्रेणी– II	श्रेणी– III	श्रेणी– IV	कुल पद
1.	सृजित किए गये पदों की संख्या	2 (–1)*	0	5	7	14(–1)*
2.	सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों की संख्या	0	0	8	0	8
3.	पदोन्नति/प्लेसमैन्ट द्वारा भरे गये पदों की संख्या	99	1	77	46	223
4.	अनुकम्पा के आधार पर भरे गये पदों की संख्या	0	0	0	12	12
5.	स्थाई किए गए कर्मचारियों की संख्या	0	0	52	0	52
6.	अनुबन्ध/दैनिक श्रमिकों से नियमित किए गए कर्मचारियों की संख्या।	0	0	19	36	55

*** उप निदेशक, विधि का पद अधिकारी के सेवानिवृत होने के साथ ही समाप्त हो गया है।**

वर्ष 2022–23 में निदेशालय में प्रेषित एवं प्राप्त पत्रों का ब्योराः–

दिनांक 1–4–2022 से 31–3–2023 तक निदेशालय से प्रेषित पत्रों की कुल संख्या	34103
दिनांक 1–4–2022 से 31–3–2023 तक निदेशालय से हिन्दी में प्रेषित हुए पत्रों की संख्या	18685
दिनांक 1–4–2022 से 31–3–2023 तक निदेशालय से अंग्रेजी में प्रेषित हुए पत्रों की संख्या	15418
दिनांक 1–4–2022 से 31–3–2023 तक निदेशालय में प्राप्त हुए पत्रों की कुल संख्या	31653
दिनांक 1–4–2022 से 31–3–2023 तक निदेशालय में हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों की संख्या	17726
दिनांक 1–4–2022 से 31–3–2023 तक निदेशालय में अंग्रेजी में प्राप्त हुए पत्रों की संख्या	13927

विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को मार्गदर्शिका के अनुसार तय मानकों के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारियों को निदेशालय से विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है जिनकी उपलब्धियों की समीक्षा निदेशालय स्तर पर समय–समय पर की जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा इन योजनाओं की त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति की समीक्षा की जाती हैं।

विधि अनुभाग–2022–23 :

संयुक्त निदेशक उद्यान–I की देख–रेख में विधि अधिकारी द्वारा विभाग से सम्बन्धित अदालती मामलों का निपटारा किया जाता है। इस अनुभाग का कार्य विभाग से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों में दायर मुकद्दमों से सम्बन्धित मामलों का निदेशालय स्तर पर अभिलेख रखा जाता है। उप निदेशक विधि अधिकारी इन मामलों का सरकारी अधिवक्ताओं की सहायता से सरकार तथा विभाग का पक्ष समयानुसार सम्बन्धित न्यायालयों में पेश करते हैं। वर्तमान में उद्यान विभाग में विभिन्न न्यायालयों में जो मुकद्में विचाराधीन हैं, उनका विवरण इस प्रकार हैं :–

क्र. सं.	मुकद्दमों (Cases) का प्रकार	कुल मुकद्दमें	लम्बित विचाराधीन मुकद्दमों की अवधि	टिप्पणी
1.	माननीय उच्च न्यायालय के अधीन केस	81	2013–23	सभी मामलों में जवाब दर्ज़ कियेगये तथा समय–समय पर पेश किये गये।
2.	प्रशासनिक प्राधिकरण से उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हुए।	124	2015–19	सभी मामलों में जवाब दर्ज़ किये गये तथा समय–समय पर पेश किये गये।
3.	पत्र वैटिड अपील	5	2015–22	सभी मामलों में जवाब दर्ज़ किये गये।
4.	श्रमिक न्यायालय मामले	7	2015–20	सभी मामलों में जवाब दर्ज़ किये गये तथा समय–समय पर पेश किये गये।
5.	उपभोक्ता अदालत के अधीन केस	3	2020–21	सभी मामलों में जवाब दर्ज़ किये गये तथा समय–समय पर पेश किये गये।
6.	निचली अदालत के अधीन केस	2	2018–23	सभी मामलों में जवाब दर्ज़ किये गये तथा समय–समय पर पेश किये गये।
कुल लम्बित मामले		**222**		

लेखा परीक्षा अनुभाग :

उद्यान विभाग के लेखा परीक्षा अनुभाग द्वारा वर्ष 2022–2023 के दौरान अनेक पैरों का समायोजन करवाया गया। लेखा परीक्षा सम्बन्धित पैरों की स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31–03–2023 तक इस प्रकार रहीः–

क्र0सं0	विवरण	पैरा विवरण	रिपोर्ट की संख्या	पैरों की संख्या
1.	31–03–2022 तक बकाया ऑडिट पैरों की संख्या।	सिविल/राजस्व	71	215
2.	01–04–2022 से 31–03–2023 तक महालेखाकार द्वारा ऑडिट के दौरान सम्मिलित पैरों की संख्या ।	सिविल/राजस्व	10	137
		योग	**81**	**352**
3.	01–04–2022 से 31–03–2023 तक महालेखाकार द्वारा समायोजित किए गए ऑडिट पैरों की संख्या।	सिविल/राजस्व	4	43
4.	31–03–2023 तक शेष असमायोजित ऑडिट पैरों की संख्या।	सिविल/राजस्व	77	309

लोक लेखा समिति (पी0ए0सी0) के प्रतिवेदन उद्यान विभाग से सम्बन्धित पैरों की ब्यौराः–

क्र0 सं0	अवधि	प्रतिवेदन विवरण	पैरों की संख्या
1.	31–03–2022 तक बकाया ऑडिट पैरों की संख्या।	पैरा लोक लेखा समिति	26
2.	01–04–2022 से 31–03–2023 तक समायोजित किए गए ऑडिट पैरों की संख्या।	पैरा लोक लेखा समिति (समायोजित)	6
4.	31–03–2023 तक शेष असमायोजित पी0ए0सी0 ऑडिट पैरों की संख्या।	पैरा लोक लेखा समिति (समायोजित)	20

अध्याय–4

बजट

उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश की स्थापना के समय का योजित तथा गैर योजित योजनाओं का बजट ₹ 70.50 लाख था लेकिन जैसे–जैसे उद्यान विभाग की तकनीकी एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य की वृद्धि हुई उसी के अनुरूप बजट राशि में भी वृद्धि होती गई। विभाग के हर क्षेत्र में सामूहिक विकास हेतु विभागीय बजट को मुख्यतः चार खण्डों में विभाजित किया गया था लेकिन सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय संस्थाओं में बजट उपलब्ध करवाना बन्द कर दिया है। इसलिये विभाग कीकेवल तकनीकी गतिविधियों को चार भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैः–

1. **कृषि कार्य**
2. **शिक्षा एवं अनुसन्धान**
3. **विपणन एवं गुण नियन्त्रण**
4. **निगमों को ऋण**

वित्तीय वर्ष 2022–23 में उद्यान विभाग को कुल ₹ 75707.96226 लाख बजट राशि का आबंटन हुआ। शीर्ष सहित विवरण (लाख ₹ में) निम्न प्रकार से दर्शाया गया हैः–

क्र.सं.	विकास शीर्ष का नाम	सामान्य योजना	अनुसूचित जाति उप–योजना	जनजातीय उप–योजना	पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1. <u>फसल कृषि कार्य</u> :						
	गैर विकासात्मक	10755.48	32.30	1029.88	7.17	11824.83
	विकासात्मक	33206.46976	5378.51	2653.57	0.00	41238.54976
	योग..	**43961.94976**	**5410.81**	**3683.45**	**7.17**	**53063.37976**
2. <u>शिक्षा एवं अनुसन्धान कार्य</u> :						
	गैर विकासात्मक	10465.76250	2909.45	1039.50	0.00	14414.7125
	विकासात्मक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग..	**10465.76250**	**2909.45**	**1039.50**	**0.00**	**14414.7125**
3. <u>विपणन एवं गुण नियन्त्रण</u> :						
	गैर विकासात्मक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	विकासात्मक	3938.13	1014.21	148.00	330.00	5430.34

क्र.सं.	विकास शीर्ष का नाम	सामान्य योजना	अनुसूचित जाति उप–योजना	जनजातीय उप–योजना	पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना	कुल जोड़
	योग..	**3938.13**	**1014.21**	**148.00**	**330.00**	**5430.34**
4. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम						
	विकासात्मक	1242.50	635.50	70.00	0.00	1948.00
	योग	**1242.50**	**635.50**	**70.00**	**0.00**	**1948.00**
5. विशेष केन्द्रीय सहायता						
	विकासात्मक	28.56	0.00	0.00	0.00	28.56
	योग..	**28.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28.56**
6. मुख्य निर्माण कार्य						
	विकासात्मक	150.00	100.00	56.00	0.00	306.00
	योग..	**150.00**	**100.00**	**56.00**	**0.00**	**306.00**
7. पूंजीगत परिव्यय						
	गैर विकासात्मक	516.95	0.00	0.00	0.00	516.95
	विकासात्मक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग..	**516.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**516.95**
8. निगमों को ऋण						
	गैर विकासात्मक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	विकासात्मक	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
	योग	**0.02**	0.00	0.00	0.00	**0.02**
	कुल योग	**60303.87226**	**10069.97**	**4996.95**	**337.17**	**75707.96226**

आयः

शीर्ष 0401–119 के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में विभाग के पास ₹ 164.60 लाख की आय का लक्ष्य था। विभाग ने इस लक्ष्य से कहीं अधिक (लगभग दोगुना) मूल्य रुपये 334.05 लाख की आय अर्जित की जिसका विवरण इस प्रकार हैः

क्र. सं.	स्कीम का नाम	आय के लक्ष्य (₹)	अर्जित आय (₹)
1.	फल विधायन केन्द्रों से आय	76,17,000	1,01,15,125
2.	वनस्पति उद्यानों से आय	10,15,000	18,01,919
3.	खुम्ब खाद से आय	3,93,000	22,30,020
4.	दवाईयों/उपकरणों की हैण्डलिंग चार्जिज से आय।	25,94,000	12,74,613
5.	मधु से आय	16,41,000	24,56,809
	योगः–	**1,32,60,000**	**1,78,78,486**
	अन्य साधनों से आय		
1.	उद्यान वसूलियों की प्राप्ति	2,00,000	5,97,901
2.	विविध आय से वसूली	30,00,000	1,49,28,801
	योग़ः–	**32,00,000**	**1,55,26,702**
	कुल योगः–	**1,64,60,000**	**3,34,05,188**

उद्यान विभाग की वित्तीय वर्ष 2022–23 में वसूली/प्राप्तियां :–

क्र. सं.	विकास शीर्ष का नाम	सामान्य योजना	अनुसूचित जाति उप–योजना	जनजातीय उप–योजना	पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना	कुल जोड़
पूंजीगत परिव्यय शीर्ष सामग्री एवं सम्भरण से वसूलियां 4401–901–05						
1.	गैर विकासात्मक	1,20,05,982	–	–	–	–
2.	विकासात्मक	0.00	–	–	–	–
	योग..	**1,20,05,982**	**–**	**–**	–	–

अध्याय–5

उद्यान विकास एवं प्रसार

यह उद्यान विभाग का मुख्य अनुभाग है तथा क्षेत्रीय स्तर पर उद्यान विकास से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों जिसमें फल उत्पादन, पुष्प उत्पादन, पौध संरक्षण तथा फसलोत्तर प्रबन्धन आदि सम्मिलित हैं, को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिये कार्यरत हैं।

इस अनुभाग की जिला, विकास खण्ड, उद्यान विकास वृत्त के स्तरों तक प्रशासनिक प्रणाली स्थापित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क. जिला स्तरः

जिला स्तर पर समस्त बागवानी विकास की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिये प्रदेश के 12 जिलों में उप–निदेशक, उद्यान नियुक्त किए गए हैं। ये अपने अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों के नियन्त्रण अधिकारी हैं तथा कार्यान्वित की जा रही उद्यान विकास योजनाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार जिला में कार्यरत विषय विशेषज्ञ उद्यान, उद्यान प्रसार कार्यों के प्रति जवाबदेह है। फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यानों/पौधशालाओं में पौध उत्पादन इत्यादि कार्यों की देख रेख के लिये भी वह उत्तरदायी हैं। साथ ही पौधशालाओं के निरीक्षण तथा पौध संरक्षण कार्यों के लिये भी जिम्मेवार हैं।

ख. विकास खण्ड स्तरः

विकास खण्ड स्तर पर बागवानी विकास कार्य विषय विशेषज्ञ उद्यान एवं उद्यान विकास अधिकारी द्वारा किए जा रहे हैं। विभिन्न विकास खण्डों में स्थित फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यानों एवं पौधशालाओं की देख–रेख हेतु एक उद्यान विकास अधिकारी या उद्यान प्रसार अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

ग. उद्यान प्रसार सर्कल (वृत्त) स्तरः

ग्राम स्तर पर बागवानों को उद्यान प्रसार सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु उद्यान प्रसार वृत्त गठित किए गए हैं। एक वृत्त में 2 से 5 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। प्रत्येक वृत्त में एक उद्यान प्रसार अधिकारी कार्यरत है जो विभाग का मूल/आकस्मिक स्तर का कार्यकर्ता है।

उद्यान विभाग द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 के प्रतिवेदन काल में प्राप्त उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः

1. फल पौध रोपण तथा फल उत्पादन कार्यक्रम :

वर्ष के दौरान प्रदेश में कुल 13.42 लाख पौधों का रोपण किया गया। इस प्रकार बागवानी के अन्तर्गत वर्तमान में 235845 हैक्टेयर क्षेत्रफल है। फल पौधों के अन्तर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन का जिलावार विवरण निम्न प्रकार हैः–

वर्ष 2022–23 के दौरान फल पौधों के अन्तर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन का जिलावार विवरण (तालिका सं–अ)

क्र0 सं0	जिला का नाम	बागवानी क्षेत्रफल वर्ष 2022–23 (है0)	फल उत्पादन वर्ष 2022–23 (मी0 टन)
1	2	3	4
1.	शिमला	49439	360197
2.	कुल्लू	31224	161278
3.	किन्नौर	12647	84193
4.	कांगड़ा	41103	48652
5.	मण्डी	38431	69324
6.	सिरमौर	15741	21513
7.	ऊना	6216	26187
8.	चम्बा	16794	28840
9.	सोलन	5877	7666
10.	हमीरपुर	7852	1910
11.	बिलासपुर	8660	4293
12.	लाहौल–स्पीति	1861	558
कुल योग..		**235845**	**814611**

वर्ष 2022–23 में वितरित किए गए फलदार पौधों का जिला–वार विवरण (तालिका सं0–ब)

क्र0सं0	जिले का नाम	वितरित पौधे (लाख)	फल पौधों के अन्तर्गत क्षेत्र (है0)
1	2	3	4
1.	शिमला	1.189	244.892
2.	किन्नौर	0.570	135.565
3.	मण्डी	1.543	462.327
4.	बिलासपुर	0.572	182.192
5.	सोलन	0.953	240.160
6.	कांगड़ा	1.388	517.024

7.	सिरमौर	2.349	609.541
8.	ऊना	0.446	165.143
9.	हमीरपुर	0.768	267.665
10.	चम्बा	1.849	414.91
11.	कुल्लू	1.713	381.622
12.	लाहौल–स्पीति	0.084	20.509
	कुल योग..	**13.424**	**3641.55**

2. फल उत्पादनः

प्रदेश में वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत 8.299 लाख मी0 टन सामान्य फल उत्पादन का अनुमान था जिसकी तुलना में 8.15 लाख मी0 टन फलों का उत्पादन हुआ जिसमें से सेब का 6.72 लाख मी0 टन, अन्य सम्शीतोषण फलों का 0.48 लाख मी0 टन, शुष्क फलों का 0.03 लाख मी0 टन, नीम्बू प्रजाति फलों का 0.32 लाख मी0 टन तथा अन्य उपोष्ण–देशीय फलों का 0.60 लाख मी0 टन उत्पादन हुआ जिसका जिलावार ब्यौरा ऊपर तालिका सं0– स पर दर्शाया गया है।

वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न फलों का उत्पादन (तालिका संख्या–स)

क्र0 सं0	फलदार पौधे का नाम	फलोत्पादन (मी0 टन)	क्र0 सं0	फलदार पौधे का नाम	फलोत्पादन (मी0 टन)
1	2	3	1	2	3
1.	सेब	672343	20.	आम	45500
2.	पलम	13795	21.	लीची	6175
3.	आडू	2897	22.	अमरूद	2892
4.	खुमानी	6181	23.	आंवला	2344
5.	नाशपाती	18604	24.	कटहल	748
6.	चैरी	981	25.	पपीता	868
7.	कीवीफल	766	26.	अंगूर	104
8.	अनार	3393	27.	लोकाट	44
9.	जैतून	7	28.	करौंदा	24
10.	जापानी फल	1201	29.	बैर	3
11.	स्ट्रॉबैरी	182	30.	चीकू	43
12.	हरे बादाम	1106	31.	सूखे बादाम	–
13.	अखरोट	1947	32.	अंजीर	2

क्र0 सं0	फलदार पौधे का नाम	फलोत्पादन (मी0 टन)	क्र0 सं0	फलदार पौधे का नाम	फलोत्पादन (मी0 टन)
14.	पीकान नट	199	33.	केला	101
15.	सन्तरा/किन्नू	17328	34.	जामुन	126
16.	माल्टा/मौसम्मी	3190	35.	बेल	3
17.	कागज़ी नीम्बू	7888	36.	डेऊं	74
18.	गलगल व अन्य	3460	37.	हेज़ल नट	15
19.	अन्य नींबू प्रजातीय फल	77	38.	चेस्ट नट	–
				कुल योग..	**814611**

3. फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान (PCDO) में फल पौधों का उत्पादनः

हिमाचल प्रदेश में बागवानी से सम्बन्धित नवीनतम तकनीकी जानकारी को प्रयोगात्मक विधियों द्वारा बागवानों तक पहुंचाने के लिये प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान स्थापित किए गए हैं ताकि इन प्रदर्शन उद्यानों में स्थानीय बागवान आधुनिक बागवानी सम्बन्धी तकनीक को स्वयं देख कर अपने बागीचों में भी अपना सकें। बागवानी विभाग के अन्तर्गत इस समय 94 फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान व पौधशालाएं हैं।

वर्ष 2022–2023 के अन्तर्गत विभागीय पौधशालाओं में लगभग 10.10 लाख फलदार पौधों का उत्पादन हुआ। हिमाचल प्रदेश बहुत से समशीतोष्ण फलों के उत्पादन एवं आपूर्ति में सक्षम है लेकिन आम, नीम्बू प्रजाति व अन्य उपोष्णदेशीय फलों, शुष्क फलों जैसे कि अखरोट और पीकानट, इसके अतिरिक्त कीवीफल, चैरी, सेब की स्पर प्रजातियों के फल पौधों के उत्पादन में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं, जिसके लिये प्रदेश में बहुत सी योजनाएं पौधों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा फल पौध की अतिरिक्त मांग को डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन एवं चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर तथा प्रदेश व अन्य राज्यों की निजी पंजीकृत पौधशालाओं से मंगवाकर पूरा किया जाता है।

4. फलदार पौधों का शीर्ष कलमबन्दी तथा कांट–छांटः

वर्ष के दौरान विभागीय कर्मियों द्वारा कुल 0.29810 लाख विभिन्न प्रजाति के फलदार पौधों की शीर्ष कलमबन्दी की गई तथा 0.72827 लाख विभिन्न प्रजाति के फलदार पौधों की कांट–छांट प्रदर्शन के रूप में की गई।

5. उद्यान उद्योग में विविधता लानाः

बागवानी व्यवसाय में विविधता लाने के लिये बागवानी पर आधारित अन्य गतिविधियों जैसे हॉप्स, खुम्ब उत्पादन, मौन पालन तथा पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये अलग से कार्यक्रम एवं विस्तार परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

6. ऋण सुविधायें:

प्रदेश के बागवानों को बागवानी व्यवसाय में सम्मिलित करने के लिये उद्यान विभाग द्वारा व्यवसायिक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वे अपनी निजी भूमि पर बागीचे एवं अन्य सम्बन्धित व्यवसाय स्थापित कर सकें।

7. मौसम आधारित फसल बीमा योजना:

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रायोगिक आधार पर रबी मौसम 2009–10 के दौरान सेब के लिए 6विकासखंडोंऔर आम के लिए 4 विकासखंडोंमें ''मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS)'' शुरू की थी। किसानों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने तथा इसके सफल कार्यान्वयन से इस योजना के तहत कवरेज वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। वर्तमान में इस योजना को सेब के लिए 42 विकासखंडों, आम के लिए 40 विकासखंडों, पलम के लिए 14विकासखंडों, आड़ू के लिए 5 विकासखंडों और नीम्बू वर्गीय फल के लिए 18 विकासखंडों में **पुनर्गठित–मौसम आधारित फसल बीमा योजना** के दिशा–निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। सेब उगाने वाले सभी जिलों में (Add-on/Index-plus) ओलावृष्टि जैसे अतिरिक्त मौसमी कारक को भी लागू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत केवल उन बागवानों को सम्मिलित किया गया है जो पहले से ही रबी सीज़न में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा करवा चुके थे।

मौसमआधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 में 61625 बागवानों ने बीमा करवाया तथा 60850 प्रभावित बागवानों को ₹ 68.94 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान किया गया। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 34.06 करोड़ रुपये का योगदान किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा ओलावृष्टि जैसी आपदा से फलदार फसलों को बचाने हेतु ओला अवरोधक जालियों के लिए बागवानों को बागवानी मिशन के अंतगर्त दिए जा रहे अनुदान की राशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर राज्य सरकार द्वारा 80 प्रतिशत तक किया गया है। किसानों की सीमित कृषि योग्य भूमि से अधिक आय प्राप्त करने के उद्धेश्य से तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु संरक्षित खेती को उद्यान विभाग निरंतर प्रोत्साहन दे रहा है।

8. बागवानी प्रशिक्षण शिविर:

विभाग द्वारा प्रदेश के बागवानों को उद्यान सम्बन्धित आधुनिक तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। यह प्रशिक्षण शिविर पंचायत स्तर, खण्ड स्तर तथा जिला स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण शिविरों में विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं जैसे उद्यान विकास, उद्यान प्रबन्धन, फसलोत्तर कार्य, पुष्प उत्पादन, खुम्ब उत्पादन, मौन पालन, पौध संरक्षण, जैविक खेती, पॉली हाउस में फल व पुष्प उत्पादन तथा फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण इत्यादि की तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है। इन प्रशिक्षण शिविरों की अवधि प्रायः एक दिवसीय ही होती है। इन प्रशिक्षण शिविरों में विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को भी बागवानों को आधुनिक जानकारी देने हेतु आमन्त्रित किया जाता है। बागवानी प्रशिक्षण शिविरों में बागवानों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जाता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान हिमाचल प्रदेश में बागवानी से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों जैसे फसलोत्तर कार्य, मौन पालन, पुष्पोत्पादन, खुम्ब उत्पादन तथा फल परिरक्षण में प्रशिक्षण देने के लिये विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण शिविरों तथा राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय बागवानी संगोष्ठियों में 67647 बागवानों को प्रशिक्षित किया गया है।

9. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशिक्षण नीति, 2009:

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशिक्षण नीति, 2009 के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्य कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्यान विभाग के समस्त कर्मचारी वर्ग को प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है। इस नीति के कार्यान्वयन हेतु 5 वर्ष की अवधि के दौरान में विभाग के प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रति वर्ष प्रशिक्षण योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है। इसके अन्तर्गत बागीचों के प्रबन्धन, फूलों की खेती, खुम्ब उत्पादन, मधुमक्खी पालन, फल परिरक्षण इत्यादि से संबंधित रिफरेशर कोर्सिज़ का औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित किये जाते हैं। गैर तकनीकी (मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ) कर्मचारियों को कम्प्यूटर, सूचना तकनीक, वित्तीय प्रशासन व कार्यालय के संचालन से सम्बन्धित नियमों की गहन जानकारी हेतु हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (HIPA) फेयर लॉन्ज़, मशोबरा, शिमला–12 में प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। तकनीकी कर्मचारियों को विभिन्न विषयों में राज्य कृषि प्रबंधन एवं प्रसार परीक्षण संस्थान, समिति (SAMETI), मशोबरा, शिमला–12 में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण नीति के अनुसार विभाग में प्रवेश/भर्ती होने वाले नए तकनीकी कर्मचारियों को विभाग की गतिविधियों व नियमों की जानकारी हेतु अभिविन्यास पाठयक्रम (Orientation Course) का भी आयोजन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विभाग के तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों को दूसरे राज्यों के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों द्वारा बागवानी से सम्बन्धित विषयों पर आयोजित किए जाने वाले पाठयक्रमों में विभाग के अधिकारियों को मनोनित (nominate) किया जाता है। हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षण नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में कुल 233 कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। जिसमें से 110 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य के भीतर तथा 123 को राज्य के बाहर प्रायोजित प्रशिक्षणों के तहत विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया। राज्य प्रशिक्षण नीति 2009 के अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में वर्ष 2022–23 के दौरान कुल मु0 5,04,000 रुपये की धन राशि व्यय की गई।

10. बीज विकास पर नई नीति 1988 के अंतर्गत प्रावधान:

किसानों को दुनिया में उपलब्ध सर्वोत्तम पौध रोपण सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा बीज विकास पर नई बीज नीति 1988 लाई गई ताकि बागवानों की कृषि आय, आयात–निर्यात एवं उत्पादकता में वृद्धि दर्ज़ की जा सके।

जो भी इच्छुक किसान/बागवान/व्यक्ति/आवेदनकर्ता पौध सामग्री/बीज आयात करना चाहता हो उसे बागवानी विभाग द्वारा ''बीज आयातकर्ता प्रमाण पत्र'' जारी किया जाता है, जिसके लिए आवेदनकर्ताओं से निम्नलिखित औपचारिकताएं पूर्ण करवाई जाती हैं।

1. निर्धारित आवदेन पत्र का पूर्ण रूप से भरा जाना।
2. भूमि के कब्ज़े का राजस्व रिकार्ड (ततीमा/जमाबन्दी/यदि ज़मीन पट्टे पर हो तो न्यूनतम 10 वर्षों के लिए पट्टा इकरारनामा)।
3. बिल (Proforma Invoice) की प्रति/पौध सामग्री का आरक्षण/नर्सरी से पुष्टिकरण पत्र जहां से किसान/बागवान अथवा आवेदनकर्ता पौध/बीज आयात करने में रूचि रखता हो।
4. शेष औपचारिकताएं आवेदनकर्ता द्वारा भारत सरकार के स्तर पर पूर्ण की जाती है।

11. हिमाचल प्रदेश में फल पौधों–एवं पेड़ों के मूल्यांकन हेतु मापदण्डः

यदि किसान एवं बागवानों की जमीन सरकार/निजी उपक्रम द्वारा ली जाती है उस स्थिति में विभाग द्वारा यदि ज़मीन पर फल पौधे हों, का मूल्यांकन निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाता है।

12. हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एण्ड लैंड रिफॉर्म्स अधिनियम, 1972 के सैक्शन 118 के अन्तर्गत प्रावधानः

यदि बाहरी प्रदेश का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में उद्यान विभाग से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि क्रय/ पट्टे पर लेना चाहता हो तो आवेदनकर्ता को विभाग द्वारा ''आवश्यक/अनिवार्य प्रमाण पत्र'' निम्नलिखित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर प्रदान किया जाता है।

1. प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट
2. जमाबंदी एवं ततीमा की प्रतिलिपि
3. विभिन्न विभागों जिसमें वन विभाग, बिजली विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किया अनापति प्रमाण पत्र।
4. ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा जारी किया गया अनापति प्रमाण पत्र
5. लोकेशन/साईट प्लान/नक्शा
6. मौके का निरीक्षण सम्बन्धित समक्ष प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट(राजस्व अधिकारी के मौजुदगी में)

13. मुख्यमंत्री मधु विकास योजना

मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का कार्यान्वयन प्रदेश में फसलों के गुणवत्ता युक्त उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, शहद तथा संबंधित उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने, ग्रामीण व शहरी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके साथ–साथ प्रदेश में वनस्पति एवं जीव–जंतुओं सहित पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाए रखने आदि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह राज्य योजना आरंभ की गई है। वर्ष 2022–23 में इस योजना के अन्तर्गत 126.56 लाख रू0 की धनराशि उपदान के रूप में किसानों एवं बागवानों को उपलब्ध करवाई गई।

क्र. सं.	मद	इकाई	भौतिक उपलब्धि (न.)	वित्तीय उपलब्धि (लाख ₹)
1.	मौन वंशों का विभागीय/निजी मौन पालकों से किसानों व बागवानों को वितरण	संख्या	50	40.62
2.	कैल, चीड़, आम और अन्य लकड़ी के भारतीय मानक ब्यूरो मान्यता प्राप्त मौन गृहों का वितरण	संख्या	50	40.62
3.	मौन पालन सामग्री/उपकरणों का वितरण	संख्या	55	8.00
4.	प्रत्येक जिला में 300 मौन वंश वाले मौन पालक का चयन करना	संख्या	5	6.00
5.	प्रवास परिवहन उपदान 5000 रू. प्रति ट्रिप	संख्या	14	1.40
6.	स्थानीय मधुमक्खी एपिस सेराना को दीवार मौन गृह या लकड़ी के मौन गृह में पालन के लिए प्रोत्साहन	संख्या	41	1.01
7.	नये मौन पालकों को पाँच दिन का प्रतिवर्ष प्रशिक्षण	संख्या	1132	9.5
8.	व्यवसायक मौन पालकों को प्रदेश के अन्दर मौन पालन केन्द्रों पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण	संख्या	–	–
9.	देशीय प्रख्यात संस्थानों में 15 दिवसीय ज्ञानात्मक भ्रमण	संख्या	20	1.40
10.	निजी क्षेत्र शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	संख्या	5	12.96
11.	प्रति दो बीघा भूमि में मधुमक्खी वनस्पति (बी–फलोरा) रोपण के लिए किसानों को प्रोत्साहन	संख्या	250	5.05
12.	मौन पालकों को वितरण के लिए साहित्य, पत्रिकाएं, डाक्यूमेंटरी, बुलेटिन आदि प्रकाशन तैयार करना	संख्या	–	–
	योग		**1622**	**126.56**

14. हिमाचल पुष्प क्रांति योजना

हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना विशेष रूप से प्रदेश में व्यवसायिक पुष्प खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की पहल पर आरम्भ की गई है, जिसे राज्य बजट से चलाया जा रहा है। इस योजना में किसानों/बागवानों की इस क्षेत्र में पहले से चल रही लम्बित मांगों को पूरा करने के बारे विशेष ध्यान दिया गया है। यह स्कीम हि0प्र0 को व्यवसायिक फूलों और सजावटी पौध फसलों के उत्पादन एवं विपणन के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाएगी। इससे आने वाले समय में प्रदेश सजावटी फसलों की बागवानी में सतत विकास करेगा। साथ ही प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभकारी रोजगार के कुशल और अकुशल युवाओं को अवसर उपलब्ध होंगे जिससे प्रदेश पुष्प राज्य के रूप में उभरेगा। फूलों की

खेती को बढ़ावा देने हेतू वर्ष 2022–23 में कुल राशि 791.19 लाख रूपये लाभार्थियों को उपदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई।

क्र. सं.	मद	इकाई	भौतिक उपलब्धि (वर्ग मी0)	वित्तीय उपलब्धि (लाख ₹)
1.	**संरक्षित खेती** हरित गृह निर्माण			
अ.	पंखा और पैड प्रणाली	वर्ग मी.	–	–
ब.	प्राकृतिक रूप से हवादार	वर्ग मी.	–	–
i)	नलिकाओं (जी.आई.पाईप से निर्माण)	वर्ग मी.	60928.56	594.27
2.	छायादार जाली गृह			
i)	नलिकाओं (जी.आई.पाईप से निर्माण)	वर्ग मी.	–	–
3.	बड़ी सुरंग (वॉकइन टनल)	वर्ग मी.	–	–
4.	छायादार जाली गृह/हरित गृह में कारनेशन और जरबेरा पौध सामग्री का मूल्य	वर्ग मी.	48640	149.37
5.	छायादार जाली गृह/हरित गह में गुलाब और लीलीयम पौध सामग्री का मूल्य	वर्ग मी.	14132	30.10
6.	मानव संसाधन विकास	सं0	349	17.45
	योग			**791.193**

15. ओला अवरोधक जाली स्थापना योजना

हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जिसके कारण किसानों की बागवानी फसलों मुख्यतः सेब और सब्जियों की गुणवत्ता और उत्पादकता को भारी नुकसान पहुंचता है। कृषक बागवानों को ओलावृष्टि से होने वाली आर्थिक क्षति से बचाव हेतु प्रदेश में ओला अवरोधक जालियां पर 80% उपदान कर प्रावधान किया गया है। जो कि woven/ Leno रू0 31.00 व Raschel/ knitted रू0 23.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से दिया जाता है।फल फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के उदेश्य से इस योजना के तहत वर्ष 2022–23 में 26.96 करोड़ रूपये की धनराशि आबंटित की गई थी, जिसमें से 23.34 करोड़ रूपये खर्च कर 3403 किसानों को लाभान्वित किया गया।

16. **बागवानी विकास योजना** के तहत बागवानी में यंत्रीकरण (मशीनीकरण) को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022–23 में 12.77 करोड़ रूपये आबंटित किए गए थे, जिसमें से अब तक 12.04 करोड़ रूपये का उपदान किसानों को उपलब्ध करवाया गया तथा 4547 बागवानों को लाभान्वित किया गया।

17. **मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजनाः**–कीवी फल की पौध तथा लोहे के एंगल लगाने के उदेश्य से इस योजना के तहत वर्ष 2022–23 में 2.00 करोड़ रूपये की धनराशि आबंटित की गई जिसमें से 1.18 करोड़ रूपये खर्च कर 3403 किसानों को लाभान्वित किया गया।

18. महक योजनाः—इस योजना के तहत वर्ष 2022—23 में 3.00 करोड़ रूपये की धनराशि आबंटित की गई जिसमें से 1.15 करोड़ रूपये खर्च कर 1237 किसानों को लाभान्वित किया गया।

राज्य स्तरीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सुविधा एवं सहायताएं :

बागवानों/कृषकों को उन्नत तकनीक तथा वैज्ञानिक ढंग से बागवानी को अपनाने हेतु उद्यान विभाग द्वारा उन्हें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सुविधायें एवं सहायतायें प्रदान की जा रही हैं। राज्य स्तरीय योजनाओं का विवरण इस प्रकार हैः—

(क) **उद्यान उपकरणों पर अनुदानः**

25 प्रतिशत लघु किसानों, 33 प्रतिशत सीमान्त किसानों तथा 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा क्षेत्र के किसानों को उपदान दिया जाता है।

(ख) **नाशीकीटमार दवाईयों पर अनुदानः**

50 प्रतिशत अनुदान लघु किसानों व सीमान्त किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा क्षेत्र किसानों को तथा 30 प्रतिशत अनुदान बड़े किसानों को।

(ग) **खुम्ब उत्पादन के लिये खुम्ब कम्पोस्ट पर अनुदानः**

25 प्रतिशत या अधिकतम ₹20 प्रति ट्रे की दर से लघु एवं सीमान्त किसानों व बेरोज़गार स्नातक पंजीकृत उत्पादकों को तथा ₹40 प्रति ट्रे की दर से अनुसूचित जाति, जनजाति/आई आरडीपी वर्ग के किसानों को उपदान अधिकतम 400 ट्रे पर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसानों को

उनके घर द्वार के निकट सड़क तक कम्पोस्ट खाद ले जाने हेतु परिवहन पर अनुदान दिया जाता है।

(घ) **परिवहन व्ययः**

विभागीय उद्यान प्रसार तथा पौध संरक्षण केन्द्रों तक उद्यान उपकरण एवं दवाईयां पहुंचाने हेतु मुफ्त परिवहन का प्रावधान है।

(ड.) **हिमाचल खुम्ब विकास योजनाः**

किसानों की खुम्ब उत्पादन में बढ़ती रूचि को देखते हुए, वर्ष 2019—20 में हिमाचल खुम्ब विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत खुम्ब उत्पादकों को खुम्ब भवन (20'x12'x10') की स्थापना के लिये 50,000/— रूपये की सहायता राशि तापावरोधन हेतु 25,000/— रूपये, कम्पोस्ट यूनिट के लिये 8 लाख, खुम्ब बीज ईकाई के लिये 6 लाख, खुम्ब उत्पादन इकाई हेतु 8 लाख रूपये की सहायता राशि तथा इस योजना में किसानों को प्रभावन भ्रमण भी करवाए जाने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत परियोजना आधारित5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिये 1000/— रूपये प्रतिदिन प्रति किसान भत्ता दिया जाता है। इस योजना में वर्ष 2022—23 में 192.15 लाख रूपये खर्च किये गये।

अध्याय–6

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

(1) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) :

प्रदेश में समग्र बागवानी विकास हेतू भारत सरकार की सहायता से उत्तरी पूर्वी एवं हिमालयन राज्यों हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 90:10 के अनुपात से कार्यान्वित किया जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर बागवानी के समग्र/सतत् विकास हेतु अनुसंधान, उत्पादन तथ उत्पादकता, फसलोपरान्त प्रबन्धन, विपणन एवं प्रसंस्करण सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिये यह मिशन प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस मिशन के अन्तर्गत प्रदेश मुख्यालय, जिला, विकास खण्ड, उद्यान विकास वृत्त के स्तरों तक प्रशासनिक प्रणालियां स्थापित हैं राज्य स्तर पर मिशन को सुचारू रूप से चलाने हेतु बागवानी मिशन कोष (सैल) बनाया गया है, जिसका नियन्त्रण परियोजना निदेशक (एम.आई.डी.एच) के अधीन है।

मिशन के अन्तर्गत बागवानी विकास हेतु किसानों/बागवानों तथा उद्यमियों के लिये अनेक सहायताएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि बागवानों कोआर्थिक तौर पर समृद्ध किया जा सके। वर्ष 2022–23 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत कुल स्वीकृत वार्षिक योजना ₹ 3889.00 लाख में से ₹1944.00 लाख की धन राशि प्राप्त हुई जिसमें 936.26 लाख रू0 की राशि spill over गतिविधियों के लिए थी। वर्ष 2022–2023 में कुल रू0 1548.3 लाख रूपये की राशि खर्च की गई।

इस कार्यक्रम के विभिन्न मदों के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	घटक का नाम	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (लाख ₹)
1	2	3	4
1.	क्षेत्र विस्तार (है0)		
	क. फल	273.64	51.67
	ख. सब्जी/मसाले		
	(i) सब्जियों के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	43.96	16.19
	(ii) मसाले के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	66.23 है0	10.19
	ग. फूल		
	फूलों के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र (0.2 है0 इकाई)	8.5	12.44
	घ. हरित गृह में उगाई गई सब्जी/फूलों का क्षेत्र विस्तार	0.40 वर्ग मी0	8.58
	ङ खुम्ब इकाईं	01 ई0	8.00
2.	जल स्त्रोतों का सृजन		
	पानी संग्रहण टैंक/टयूबवैल/बोर वैल	2 सं0	1.80

क्र.सं.	घटक का नाम	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (लाख ₹)
3.	संरक्षित खेती		
	क. हरित गृह की स्थापना	0.64 वर्ग मी0	84.34
4.	मानव संसाधन विकास		
	क. राज्य से बाहर प्रशिक्षण (किसान संख्या)	20 सं0	1.00
5.	जैविक कृषि हेतु प्रोत्साहन		
	क. वर्मी कम्पोस्ट इकाई	.....	.....
6.	कृषि उपकरण		
	क. शक्ति चालित (below 8 BHP)	80 सं0	41.34
	ख. पौध संरक्षण उपकरण	274 सं0	17.08
7.	मौन पालन विकास		
	मौन वंश एवं मौन गृह	.....	....
8.	संचयन/पृथक्कन/पैकिंग/ग्रेडिंग इकाई आदि	12 सं0	29.47
9.	संग्रह, छटाई, ग्रेडिंग लाईन	4 सं0	32.50
10.	पक्वन कक्ष (Fruit Ripening Chamber)	1 सं0	26.00
11	प्रदर्शन के माध्यम से प्रौद्यौकी प्रसार	59 सं0	497.84
12	उत्कृष्टता का केन्द्र	1 सं0	400.00
13	कोटड स्टोरेज ईकाइयां	3सं0	97.93
14	खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing Unit)	6 सं0	91.42
15	अन्य	—	120.00
	कुल		**1548.30**

(2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :

प्रदेश में अतिरिक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' वर्ष 2007–08 से कार्यान्वित की जा रही है। उद्यान विभाग, हि0प्र0 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में बागवानी विकास की परियोजनाओं हेतु कुल 261.50 लाख रू0 की धन राशि आबंटित की गई थी।इस योजना के अंतर्गत 1386 बागवानों को लाभांवित किया गया। इस योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैः

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के प्रयासों को मजबूती देना, जोखिम कम करके और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देकर खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना है।

2. राज्यों के किसानों के प्रयासों को मजबूत करने हेतु आवश्यक फसल पूर्व एवं फसलोत्तर कृषि–बुनियादी ढ़ांचा निर्माण जो गुणवत्तायुक्त सामग्री, क्वालिटी इनपुट, भण्डारण, बाजार सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना है।
3. यह सुनिश्चित करना कि जिलों एवं राज्य से संबंधित कृषि योजना को तैयार करने की प्रक्रिया कृषि जलवायु परिस्थितियों एवं प्राकृतिक स्त्रोतों एवं तकनीक की उपलब्धता पर आधारित हो।

इस योजना का कार्यान्वयन 3 स्ट्रीमों के अन्तर्गत किया जा रहा हैः

क. आधारभूत संरचना एवं सम्पति स्ट्रीमः इस स्ट्रीम में बागवानी विकास की वे गतिविधियां सम्मिलित की गई है जो राज्य/केन्द्रीय परियोजनाओं में निहित नहीं हैं तथा पहली बार प्रारम्भ की गई है। इस स्ट्रीम के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जा रही हैंः

- बागवानी यंत्रीकरण हेतु राज्य में 51.50 लाख रूपये स्वीकृत किए गए।
- निजी क्षेत्र में 50 घन मी0 क्षमता के जल भंडारण टैंकों व टयूबवैल हेतु 200.00 लाख रूपये स्वीकृत किए गए।
- निजी क्षेत्र में जैविक खाद इकाई हेतु 10.00 लाख रूपये स्वीकृत किए गए।

ख. मूल्यवर्धन से जुड़ी उत्पादन परियोजनाएंः इस स्ट्रीम में बागवानी विकास की वे गतिविधियां सम्मिलित की गई हैं जो बागवानों को सुनिश्चित/अतिरिक्त आय प्रदान करती हैं जिसमें निजी व सरकारी क्षेत्र की एकीकृत कृषि विकास योजनाएं सम्मिलित हैं।

ग. फलैक्सी फंडजः–इस स्ट्रीम में राज्य उपलब्ध राशि को स्थानीय आवश्यकताओं या अधिमानता वाले कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में अभिनव गतिविधियों पर आधारित प्रस्ताव सहायता हेतु उपयोग कर सकता है।

(3) प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना – प्रति बून्द, अधिक उत्पादन

प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना के मुख्य उद्देश्य खेतों तक जल पहुंचाना, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, सुनिश्चित सिंचाई का प्रबन्धन, जलाशय पुनर्भरण, सतत् जल संरक्षण प्रणाली प्रचलनों के साथ–साथ भूमि जल सृजन, पानी के बहाव को रोक कर उपयोग में लाना तथा जल उपलब्धि के अनुसार फसलों का चयन एवं आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर कार्यक्रम को लागू करना है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न स्तर पर जल निकाय सृजन, नदियों में लिफ्ट सिंचाई योजना, जल वितरण नेटवर्क तथा उपलब्ध जल स्त्रोतों की मुरम्मत, पुनर्भण्डारण तथा सृजन का कार्य मुख्य रूप से किया जाना है।

उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना – प्रति बूंद, अधिक फसल उत्पादन मद् के अन्तर्गत किसानों एवं बागवानों को विभिन्न प्रकार की सहायतायें एवं सुविधायें प्रदान कर रहा है। सूक्ष्म सिंचाई योजना को प्रोत्त्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार लघु एवं सीमान्त किसानों/बागवानों को 80 प्रतिशत अनुदान (50 प्रतिशत भारत सरकार + 30 प्रतिशत प्रदेश सरकार) अधिकतम 2.0 हैक्टेयर प्रति बागवान तथा बड़े किसानों/बागवानों को 45 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 5.0 हैक्टेयर प्रति बागवान का प्रावधान है। प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना – प्रति बून्द, अधिक उत्पादन के अन्तर्गत 2150किसानों/बागवानों को 320 लाख रू0 खर्च कर लाभान्वित किया गया। ड्रिप एवं स्प्रींकलर प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न सहायताएं निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	योजना का नाम	दूरी	कुल लागत प्रति हैक्टेयर / प्रशिक्षण (रु0 लाख)
1.	ड्रिप सिंचाई (अधिक दूरी वाली फसलें)		
		5X5 मी0	–
		4X4 मी0	–
		3X3 मी0	79.18
		2.5X2.5 मी0	127.12
		2X2 मी0	184.75
		1.5X1.5 मी0	227.23
		2.5X0.6 मी0	182.32
		1.8X0.6 मी0	176.37
		1.2X0.6 मी0	237.73
2.	सूक्ष्म स्प्रींकलर सिंचाई प्रणाली		
		5X5 मी0	0.58932
		3X3 मी0	0.67221
3.	मिनी स्थानान्तरित स्प्रींकलर सिंचाई प्रणाली		
		10X10 मी0	0.85212
		8X8 मी0	0.94028
4.	स्थानान्तरित स्प्रींकलर सिंचाई प्रणाली		
		63 mm dia pipe	0.19542
		75 mm dai pipe	0.21901
		99 mm (upto 3 ha)	0.42345
5.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	1) किसानों को प्रशिक्षण क) राज्य के अन्दर 2) किसानों को प्रभावन दौरा क) राज्य से बाहर ख) भारत से बाहर 3) तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम क) राज्य के अन्दर ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रगतिशील राज्य इकाई (कम से कम 5 प्रतिभागियों का समूह) ग) भारत से बाहर	 1000 रु0 प्रति दिन (परिवहन सहित) परियोजना आधारित परियोजना आधारित 4 लाख रू0 प्रतिभागी 300 रु0 प्रतिभागी+ यात्रा एव दैनिक भत्ता स्वीकार्य 800 रु0 प्रतिभागी + यात्रा एवं दैनिक भत्ता स्वीकार्य 4 लाख रु0 प्रतिभागी

सूक्ष्म सिंचाई योजना के लाभ

- पैदावार एवं उत्पादकता में बढ़ौतरी।
- फसल गुणवत्ता में सुधार एवं फसल जल्दी पकने का सुनिश्चितिकरण।
- 40–70 प्रतिशत तक जल की बचत।
- सिंचाई के साथ–साथ घुलनशील एवं तरल खादों तथा पौध संरक्षण के लिए रसायनिक दवाइयों इत्यादि का निपुणता के साथ जड़ क्षेत्र में संचारण संभव होता है।
- खरपतवार पर नियंत्रण, 30 प्रतिशत तक खाद की बचत और 10 प्रतिशत मज़दूरी की लागत में बचत होती है।
- बीमारियों पर नियन्त्रण।
- असमतलीय जमीन के लिए उपयोगी।
- भू–संरक्षण का विलोपन।
- उच्च जल प्रयोग क्षमता।
- लवणीय पानी का प्रयोग भी संभव है।

अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञउद्यान/उप–निदेशक उद्यान से सम्पर्क करें।

अध्याय–7

फल पौध पोषण

फल पौधों से अधिक एवम् उतम् गुणवत्ता की पैदावार प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि फल पौधों को आवश्यक तत्त्व उचित व संतुलित मात्रा में उपलब्ध करवाये जाएं। इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1974 से प्रदेश के बागवानों को फल बागीचों में आवश्यक तत्वों की स्थिति जानने तथा उनके आधार पर उर्वरकों की उचित एवं सन्तुलित मात्रा निर्धारित करने हेतु "निःशुल्क फल पौध पोषण परामर्श सेवा" आरम्भ की है। इस योजना के अर्न्तगत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उगाये जाने वाले फल पौधों से पत्तियों के नमूने एकत्रित कर उनका रासायनिक विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण परिणामों के आधार पर बागवानों के फल बागीचों में पोषक तत्वों की स्थिति का अध्ययन कर बागीचों के लिये उर्वरकों की संतुलित मात्रा का निर्धारण किया जाता है व इसकी जानकारी सम्बन्धित बागवानों को लिखित रूप में डाक द्वारा या उद्यान विकास अधिकारी के माध्यम से भेजी जाती है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैः–

1. उन क्षेत्रों में जहां बागीचे अधिक सघन है पत्ती विश्लेषण विधि द्वारा फल पौधों में पोषक तत्वों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना।
2. पत्तियों के नमूनों के विश्लेषण के आधार पर बागीचों में फल पौधों के लिये उर्वरकों की उचित मात्रा का निर्धारण करना व इसकी जानकारी सम्बन्धित बागवानों को देना।
3. हिमाचल प्रदेश के बागवानों को फल पौध पोषण से सम्बन्धित निःशुल्क परामर्श सेवा प्रदान करवाना।
4. प्रदेश में ऐसी नई फल पौध पोषण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना जिनमें बागवानों को पत्ती विश्लेषण की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हों।

वार्षिक लक्ष्य एवं उपलब्धियांः–

1. <u>फल पौध पोषण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवम् सुदृढीकरणः</u>

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में इस समय 6 फल पौध पोषण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही है जोकि जिला शिमला में नवबहार (उद्यान निदेशालय),कोटखाई व थानाधार, जिला कांगड़ा में धर्मशाला, जिला कुल्लू में बजौरा तथा जिला ऊना में सलोह में स्थित हैं। इस के अतिरिक्त प्रदेश के जन जातीय क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु दो ड्राईंग तथा ग्राईडिंग इकाईयों की स्थापना की गई है जोकि जिला किन्नौर के रिकांगपीओ तथा जिला चम्बा के भरमौर में स्थित है। इन प्रयोगशालाओं की कुल क्षमता 30,000 नमूनों (पत्तियों) को सुखाने तथा पीसने की है। प्रदेश में स्थापित प्रयोगशालाओं में उपकरणों व यन्त्रों का प्रयोग पत्तियों के नमूनों की रासायनिक विश्लेषण के लिये किया जाता है।

2. विश्लेषण हेतु पत्तियों के नमूनों का एकत्रीकरणः

इस योजना के अर्न्तगत स्थापित प्रयोगशालाओं की कुल क्षमता 30,000 नमूनों (पत्तियों) को तैयार कर विश्लेषण करने की है वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 16790 नमूने एकत्रित करने का लक्ष्य निदेशालय द्वारा निर्धारित किया गया था। इस योजना के अर्न्तगत पत्तियों के नमूनों के एकत्रीकरण का कार्य जिलों में कार्यरत उद्यान विकास अधिकारियों एवं अन्य तकनीकी कर्मचारियों के माध्यम से विभिन्न जिलों में कार्यरत उप निदेशक

उद्यान द्वारा करवाया जाता है। वर्ष के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलो से कुल 14853 नमूने प्राप्त हुये। विभिन्न जिलों से विश्लेषण हेतु प्राप्त नमूनों का विवरण इस प्रकार हैः

क्र0 सं0	जिले का नाम	विश्लेषण हेतु पत्तियों के नमूने एकत्रित करने का लक्ष्य	प्रयोगशालाओं में विश्लेषण हेतु प्राप्त पत्तियों के नमूनों की संख्या
1.	शिमला	4450	4456
2.	सोलन	1000	589
3.	सिरमौर	1800	1089
4.	किन्नौर	800	846
5.	बिलासपुर	1250	392
6.	कांगड़ा	1500	1575
7.	हमीरपुर	1000	1000
8.	ऊना	500	504
9.	चम्बा	1110	1045
10.	मण्डी	780	714
11.	कुल्लू	2200	2237
12.	लाहुल स्पिति	400	406
	कुल जोड	**16790**	**14853**

3. <u>पत्ती विश्लेषण सेवा</u>:

विभिन्न प्रयोगशालाओं में वर्ष 2022–23 के दौरान विधायन एवं विश्लेषण किये गये पत्तियों के नमूनों तथा लाभान्वित बागवानों का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र0 सं0	प्रयोगशाला/ड्राईंग ग्राईंडिंग इकाई का नाम	जिले/क्षेत्र का नाम	पत्तियों के नमूने प्राप्त हुये	पत्तियों के नमूनें विश्लेषण किये	लाभान्वित बागवानों की संख्या
1.	फल पौध पोषण प्रयोगशाला, शिमला	शिमला	268	268	98
		सोलन	589	589	122
		सिरमौर	1089	1089	343
		बिलासपुर	392	392	192
2.	ड्राईंग, ग्राईडिंग इकाई रिकांगपिओ	किन्नौर	846	846	726
3.	फल पौध पोषण प्रयोगशाला, धर्मशाला	कांगड़ा	1575	1575	945
		हमीरपुर	1000	1000	839
		चम्बा	685	685	558
4.	ड्राईंग, ग्राईडिंग इकाई भरमौर	पांगी	110	110	49
		भरमौर	250	250	243
5.	फल पौध पोषण प्रयोगशाला, कोटखाई	शिमला	3072	3072	932

6.	फल पौध पोषण प्रयोगशाला, बजौरा कुल्लू	कुल्लू मण्डी लाहुल–स्पिति	1237 714 306	1237 714 306	301 471 94
7.	फल पौध पोषण प्रयोगशाला, थानाधार शिमला	शिमला कुल्लू स्पिति	1116 1000 100	1116 1000 100	670 990 99
8.	फल पौध पोषण प्रयोगशाला, सलोह, जिला ऊना	ऊना	504	504	138
	कुल जोड़		**14853**	**14853**	**7810**

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 16790 पत्तियों के नमूने एकत्रित एवं विश्लेषण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि वर्ष के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 14853 नमूने प्राप्त हुए तथा 14853 नमूनों का विश्लेषण किया गया। वर्ष के दौरान कुल 7810 बागवानों को इस सेवा का लाभ पहुंचाया गया।

अध्याय–8

उद्यान विपणन

उद्यान विभाग का प्रयास रहता है कि प्रदेश के बागवानों को देश की विभिन्न मण्डियों में उनकी फल उपज के अच्छे दाम मिले जिससे उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। उद्यान विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उत्पादित किए जा रहे फलों के उत्पादन एवं विपणन लागत सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करवाना, विपणन में बागवानों के गुणवत्तायुक्त फलों को नियमित रूप से मण्डियों में अच्छे दाम दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न फलों हेतु पैकेजिंग का प्रबन्ध करना, भाव हेतु मण्डी सर्वेक्षण योजना,मण्डी विपणन योजना को कार्यान्वित करवाना तथा सेब विपणन काल के दौरान नियन्त्रण कक्षों की स्थापना करना, विपणन योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। प्रदेश सरकार मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत विभिन्न निगमों के माध्यम से बागवानों द्वारा व्यवसायिक स्तर पर उगाए जा रहे आम, सेब, किन्नू, माल्टा, सन्तरा एवं गलगल के फलों के विपणन अधिशेष का प्रापण किया जाता है।

1. **मण्डी विपणी सेवा.**–देश की प्रमुख सीमान्त मण्डियों में इस अवधि में कुल 40 मण्डियों से "ए" क्वालिटी "मिडियम ग्रेड" फलों के, जिनमें से 02 मण्डियां गुठली वाले फल, 02 मण्डियां नाशपाती फल, 07 मण्डियां आम फल, 15 सेब फल तथा 14 नीम्बू प्रजातीय फलों की मण्डियां सम्मिलित हैं, से मॉडल थोक भाव एवं आगत सम्बन्धी आंकड़े मुख्य विपणन काल में एकत्रित किये गये (अनुबन्ध–1)। उक्त भाव एवं आगत सम्बन्धी सूचना संकलित करके प्रदेश के बागवानों एवं अन्य विपणन संस्थाओं के सूचनार्थ, मुख्य विपणनकाल में आकाशवाणी शिमला–171004 के माध्यम से प्रादेशिक समाचारों से पहले प्रसारित करवाई गई ताकि फल व्यापार से जुड़े बागवान एवं संस्थायें, मण्डी प्रवृत्तियों का अध्ययन करके फलों के लाभकारी विपणन हेतु फलों को उचित मण्डियों में भेजकर अच्छी कीमतें प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित मण्डियों एवं शहरों से भी मण्डी विपणी सूचना एकत्रित करने हेतु पग उठाये गये।

2. **तुड़ाई, वर्गीकरण एवं भराई योजनाः**–इस योजना के अन्तर्गत, फलों को उत्पादकों द्वारा विभिन्न बक्सों/टोकरियों इत्यादि में भरकर उपयुक्त मण्डियों में भेजने के बारे में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इन गतिविधियों के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में कुल 13983 बागवानों को 69002 फल बक्सों की भराई का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

3. **उत्पादन एवं विपणन लागतः**–फलों के मुख्य विपणनकाल में विभिन्न फलों की उत्पादन लागत एवं विपणन लागत से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करने हेतु पग उठाये गये ताकि इन आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों जैसे कि मण्डी मध्यस्थता योजना, उत्पादन, फसल बीमा, पैकिंग सामग्री, तुड़ाई, वर्गीकरण, भराई, परिवहन दरें इत्यादि सम्मिलित हैं, के निर्धारण हेतु उपयोग में लाया जा सके।

4. **नियन्त्रण कक्षों की स्थापनाः**–प्रदेश के विभिन्न सेब उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न सीमान्त मण्डियों तक सेब की ढुलाई का कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु एवं बागवानों को उनकी मांग के अनुसार दूर–दराज़ के क्षेत्रों में ट्रक उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2022–23 में जिला शिमला में फागू के समीप भेखलटी

नामक स्थान पर सेब नियन्त्रण कक्ष एवं जिला किन्नौर में चौरा नामक स्थान पर उप नियन्त्रण कक्ष खोला गया।

5. **फलों की पैकिंग हेतु पैकेजिंग का प्रबन्ध कार्टन उपदान योजनाः**—वर्ष 2022–23 में योजना के अन्तर्गत कार्टन प्रापण संस्थाओं नामतः एच.पी.एम.सी., हिमफैड, हिमप्रोसैस एवं केवल जिला किन्नौर हेतू किनफैड द्वारा प्रदेश व प्रदेश के बाहर स्थित निजी कार्टन निर्माताओं से क्रय करके प्रदेश के बागवानों को आपूर्ति किये गऐ कार्टनों का ब्यौरा इस प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आपूर्ति किये गये कार्टनों की संख्या		
		टैलीस्कोपिक कार्टन	युनिवर्सल कार्टन	10 कि. ग्रा. क्षमता
1.	एच.पी.एम.सी.	144820	–	16380
2.	हिमफैड	20700	–	–
3.	किनफैड	57460	–	5300
कुल योग ..		**222980**	**–**	**21680**

6. **मण्डी मध्यस्थता योजना :**

(1) **आम का प्रापण.**––प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में आम फल के प्रापण हेतु मण्डी मध्यस्थता योजना लागू की गई जिसके अन्तर्गत प्रापण दरों का ब्यौरा इस प्रकार से हैः

फल की किस्म	ग्रेड विवरण	प्रापण दर (प्रति कि.ग्रा. रुपयों में)
बीजू प्रजातियां	विधायन योग्य (पके फल)	10.50
कलमी प्रजातियां	विधायन योग्य (पके फल)	10.50
आचारी आम	विधायन योग्य	10.50

आम फल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में कुल 42फल एकत्रीकरण केन्द्र खोले गये जिनमें से 20 केन्द्रों पर एच.पी.एम.सी. द्वारा और 22 पर हिमफैड द्वारा प्रापण कार्य किया गया। उक्त योजना के अंतर्गत प्रदेश में 4830 रूपये मूल्य का 460 कि0 ग्र0 आम फल का प्रापण हुआ है।यह योजना दिनांक 01.07.2022 से 31.08.2022 तक लागू की गई।

(2) **सेब प्रापण :** प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में "सी" ग्रेड सेब फलो के प्रापण हेतु मण्डी मध्यस्थता योजना लागू की गई। उक्त योजना के अन्तर्गत 10.50 रूपये प्रति कि.ग्रा. की प्रापण दर से सेब उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में कुल 316 फल एकत्रीकरण केन्द्र खोले गऐ जिनमें से 174 केन्द्रों पर एच.पी.एम.सी. द्वारा एवं 142 केन्द्रों पर हिमफैड द्वारा प्रापण कार्य किया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 9044.91 लाख रुपये मूल्य का 86142.00 मीट्रिक टन सेब का प्रापण हुआ यह योजना 20.07.2022 से 30.11.2022तक लागू की गई।

दैनिक रिपोर्टः

सेब मण्डी मध्यस्थता योजना के लागू होने के दौरान प्रतिदिन दिल्ली बाजार भाव, योजना के अन्तर्गत खोले गए प्रापण केन्द्रों की संख्या, प्रापण किये गये सेब फल की मात्रा, सेब उत्पादन क्षेत्रों को परिवहन हेतु भेजे गये वाहनों की संख्या, विपणन हेतु उत्पादन क्षेत्रों से आने वाले वाहनों की संख्या तथा पिछले दो वर्षों का ब्यौरा तैयार करके प्रतिदिन प्रदेश सरकार और सूचना एवं जन संपर्क विभाग को आगामी उचित कार्रवाई हेतु भेजी जाती है ताकि फल व्यापार से जुडे बागवान एवं संस्थायें, मण्डी प्रवृतियों का अध्ययन करके फलों के लाभकारी विपणन हेतु फलों को उचित मण्डियों में भेजकर अच्छी कीमतें प्राप्त कर सकें।

(3) **नीम्बू प्रजाति फलों का प्रापणः** प्रदेश सरकार द्वारा नीम्बू प्रजातिय फलों नामतः किन्नू/माल्टा/सन्तरा एवं गलगल फलों हेतु मण्डी मध्यस्थता योजना 2022–23 लागू की गई जिसके अन्तर्गत प्रापण दरों का ब्यौरा इस प्रकार से है :–

फल का नाम	ग्रेड विवरण	प्रापण दर (प्रति कि.ग्रा. रुपयों में)
किन्नू/माल्टा/सन्तरा	"बी"	9.50
–यथोपरि–	"सी"	9.00
ग्लगल	"सभी ग्रेडज"	8.00

नीम्बू प्रजातिय फलों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में कुल 54 फल एकत्रीकरण केन्द्र खोले गये। जिनमें से 34 केन्द्रो पर एच0पी0एम0सी0 द्वारा एवं 20 केन्द्रों पर हिमफैड द्वारा प्रापण कार्य किया गया। उक्त योजना के अतंर्गत प्रदेश में 0.47022लाख रूपये मूल्य का 5.066 मिट्रिक टन निम्बू प्रजातियों फलों का प्रापण किया गया। योजना के अन्तर्गत फलों का प्रापण कार्य एच.पी.एम.सी. और हिमफैड द्वारा किया गया। योजना दिनांक 21.11.2022 से 15.02.2023 तक लागू की गई ।

7. **फलों की पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली पैकिंग सामग्री के नमूने का परीक्षण :**–वर्ष 2022 में एच.पी.एम. सी. के माध्यम से चुने गये विभिन्न फर्मों से प्राप्त 14 प्रकार के कार्टन के नमूनों की जांच कार्टन परीक्षण प्रयोगशाला, नबवहार, शिमला–2 में की गई। पैकिंग सामग्री के नमूने के परीक्षण का मुख्य उद्वेश्य फल उत्पादकों को उच्च गुणवत्ता/परिमाप के कार्टन उपलब्ध करवाना है।

8. **प्लास्टिक क्रेटों का आबंटन :**–वर्ष 2022–23 के दौरान प्रदेश के बागवानों को फसलोत्तर प्रबन्धन जैसे तुड़ाई, भण्डारण और परिवहन हेतु 20443 प्लास्टिक क्रेट 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरित किये गये, जिससे लगभग 2044 बागवान लाभान्वित हुए।

अनुबन्ध–1

वर्ष 2022–23

गुठली वाले फलों की मण्डियां	आम फलों की मण्डियां	सेब फलों की मण्डियां	नीम्बू फलों की मण्डियां	नाशपातीप्रजाति फलों की मण्डियां
ए0 पी0 एम0 सी0 शिमला	1. चण्ड़ीगढ	1. ए.पी.एम.सी. शिमला	1. ए.पी.एम.सी. शिमला	1. ए.पी.एम.सी. शिमला
ए0 पी0 एम0 सी0 ठियोग	2. देहरादून	2. दिल्ली	2. ए.पी.एम.सी. कांगडा	2. ए.पी.एम.सी. ठियोग
	3. दिल्ली	3. हैदराबाद	3. चण्ड़ीगढ	
	4. जम्मू	4. नासिक	4. दिल्ली	
	5. मुम्बई	5. कोलकता	5. हैदराबाद	
	6. शिमला	6. मुम्बई	6. कोलकता	
	7. भौपाल	7. पटना	7. पटना	
		8. चैन्नई	8. चैन्नई	
		9. चण्ड़ीगढ	9. नासिक	
		10. देहरादून	10. बैंगलुरू	
		11. तिरूवनंतपुरम	11. देहरादून	
		12. वाराणसी	12. मुम्बई	
		13. जम्मू	13. नागपुर	
		14. बैंगलुरू	14. वाराणसी	
		15. लखनऊ		

अध्याय–9

पौध संरक्षण

पौध संरक्षण कार्यक्रम उद्यान विभाग का एक अभिन्न अंग है जिसका उददे्श्य बागवानों को पौध संरक्षण उपायों हेतु विस्तारपूर्वक तकनीकी सेवा तथा समय–समय पर विभिन्न कीटों एवं व्याधियों की रोकथाम हेतु बागवानों को उनके निकटतम केन्द्र से पौध संरक्षण दवाईयों का उपलब्ध करवाना है। इस समय विभाग में कुल 354 पौध संरक्षण केन्द्र/उप केन्द्र/उद्यान प्रसार केन्द्र हैं जिनके माध्यम से बागवानों को कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाईयां तथा पौध संरक्षण सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के बागवानों को मु0 738.17220 लाख रूपये की 155.366 मि0ट0 पौध सरंक्षण दवाईयां उपलब्ध करवाने हेतू मु0 221.22670 लाख रूपये की राशि उपदान के रूप में व्यय की गई है। योजनाओं का विवरण इस प्रकार से हैः

1. सेब स्कैब रोग नियंत्रण हेतू योजना।
2. सेब के कैंकर रोग तथा माईट–पैस्ट की रोकथाम हेतु योजना।
3. आम एवं नींबू प्रजातीय फलों के मुख्य कीटों तथा रोगों के नियंत्रण हेतु योजना।

इस के अतिरिक्त फलों में लगने वाले विभिन्न रोगों एवं कीटों की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा लगभग 40,000 छिड़काव सारणियां बागवानों को मुफ्त बांटी गई।

पौधसंरक्षण के अन्तर्गत उपचारित क्षेत्रः

वर्ष 2022–23 के दौरान पौध संरक्षण के अन्तर्गत कुल 153084 हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित किया गया। फलस्वरूप प्रदेश में उगाये जा रहे फल–पौधों में पनपने वाले हानिकारक कीटों, माईट तथा रोगों को नियन्त्रित किया गया, जिससे स्वस्थ फलों का उत्पादन सम्भव हो सका।

जैव नियन्त्रण प्रयोगशालाः

प्रदेश में फलों के बागीचों को कीटों एवं रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए कीटनाशकों/फफूंदनाशकों इत्यादि की जगह प्रयोग किये जाने वाले मित्र कीटों, फफूंद इत्यादि को तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार की सहायता से रझाणा, शिमला–9 में जैव नियन्त्रण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। यहां पर सैन्जोज़स्केल, अनार बटरफ्लाई और वूली एप्पल ऐफिड की रोकथाम हेतु मित्र कीटों जैसे कि *कराईसोपर्ला, अफाईटिस, ट्राईकोग्रामा किलानिस* इत्यादि का गुणन करके बागवानों को उपलब्ध करवाने हेतू तैयार किये जा रहे हैं।

वर्ष 2022–23में हानिकारक कीटों की रोकथाम हेतु प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में *ट्राईकोग्रामा* प्रजाति के कीड़ों के 404 कार्ड (एक कार्ड पर लगभग 5000–8000 अण्डे चिपके होते हैं) विभिन्न क्षेत्रों में छोड़े गए। इसी तरह से *रिडोब्रिड* बग 4126 तथा *ऐंथोकोरिड* बग 2257की संख्या में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छोड़े गए। इसी तरह से इन्टोमोपैथोजेनिक नेमोटोड के संक्रमित लारवा 3886 (एक लारवा से लगभग 25000 नेमाटोड का उत्पादन होता है), जो विभिन्न नाशी जीवों विशेषकर जड़ छेदक कीट को समाप्त करने में सहायक है तथा फल मक्खी की रोकथाम के लिए 5932 मिथाईलयूज़िनॉल (ट्रैपस) का भी उत्पादन किया गया। प्रयोगशाला द्वारा 42. 95 कि0 ग्रा0 *बवेरिया बेसियाना,* 40.4 कि0 ग्रा0 *मैटारीज़ीयम* व 89.85 कि0 ग्रा0 *ट्राईकोडरमा* मित्र फफूंद भी बागवानों को वितरित की गई।

यह सारी सामग्री विभिन्न क्षेत्रों के किसानों एवं बागवानों को वितरित की गई तथा 608.52 हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित किया गया तथा लगभग 724 बागवानों/अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

फल पौधशाला पंजीकरण कार्यक्रमः

वर्ष 2022–23 के दौरान विभाग द्वारा 121 नई पौधशालाओं का पंजीकरण हिमाचल प्रदेशं फल पंजीकरण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किया गया तथा इस वर्ष के अन्त तक विभागीय तथा निजी पौधशालाओं की संख्या 452रही जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया हैः

विभागीय पंजीकृत फल पौधशालाओं की संख्या	35
विभागीय पंजीकृत संकुर (bud wood) शाखा की संख्या	35
निजी पंजीकृत फल पौधशालाओं की संख्या	449
निजी पंजीकृत संकुर (bud wood) शाखा की संख्या	417

अध्याय–10

मौन पालन

मौनपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्जित उपलब्धियां

प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विविध प्रकार के फूलों की प्राकृतिक तौर पर उपलब्धता प्रदेश में मौन पालन व्यवसाय के प्रति अत्यन्त अनुकूल है। मनुष्य के भोजन का एक तिहाई भाग पर–परागण फसलों से प्राप्त होता है। पर–परागण में मधुमक्खियों का विशेष योगदान रहता है। प्रदेश में हर वर्ष विभिन्न फलों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल बढ़ रहा है तथा प्रदेश फल राज्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। फलों एवं फसलों की निरन्तर उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मधुमक्खियों का विशेष योगदान रहा है। अतः विभाग द्वारा प्रदेश में मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं जिसके अन्तर्गत बेराज़गार नवयुवकों को स्वरोज़गार अपनाने हेतु प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1.	वर्तमान में राजकीय मौन पालन केन्द्रों की कुल संख्या	32
2.	वर्तमान में राजकीय मौन पालन केन्द्रों में मौन वंशों की कुल संख्या	1429
3.	राजकीय मौन पालन केन्द्रों पर कुल मधु उत्पादन मी0 टन	6.517
4.	निजी मौन पालकों के पास मौन वशों की संख्या	116392
5.	निजी मौन पालकों द्वारा कुल मधु उत्पादन मी0 टन	2113.597
6.	वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत आयोजित किये मौन पालन प्रशिक्षण शिविरों की संख्या	23
7.	प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या	600
8.	उपरोक्त प्रशिक्षणार्थियों में से महिला प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या	230
9.	वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत मौन वशों का वितरण	23200
10.	वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत मौन गृहों का वितरण	2900
11.	वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत मोमी छतों का वितरण	760
12.	परागण क्रिया हेतु उपलब्ध करवाये मौन वंशों की संख्या	471
13.	शहद से बिक्री तथा परागन पर वितरित मौन वंशों से आय (रूपये)	3930200

मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतगर्त 2018–19 में 10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जिसका जिलावार आबंटन किया गया तथा बजट का आहरण जिला अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 860.59 लाख रूपए की धनराशि उपदान के रूप में 10164 बागवानों एवं किसानों में आबंटित कर दी गई है।

मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतगर्त 2019–20 में 5 करोड़ रू0 का बजट का प्रावधान किया गया था जिसका जिलावार आबंटन किया गया तथा बजट का आहरण जिला अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 273.0689 लाख रूपए की धनराशि उपदान के रूप में 1991 बागवानों एवं किसानों को उपदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई।

मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतगर्त 2020–21 में 102.79 लाख रू0 का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें से क्षेत्राधिकारियों द्वारा 77.61 लाख रूपए की धनराशि 285 बागवानों एवं किसानों को उपदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई।

मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतर्गत 2021–22 में 6.20 करोड़ रू0 का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें से क्षेत्राधिकारियों द्वारा 174.67 लाख रूपए की धनराशि 826 बागवानोंको उपदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई।

मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतगर्त 2022–23 में 450 लाख रू0 का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें से क्षेत्राधिकारियों द्वारा 126.56207 लाख रूपए की धनराशि 1579 बागवानों एवं किसानों को उपदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई।

अध्याय–11

पुष्प उत्पादन

विविध वातावरण हिमाचल प्रदेश को प्रकृति की देन है। इस कारण यहां पर फलों के अतिरिक्त फूलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। वैशविक जलवायु परिवर्तन तथा एक ही फसल को बार–बार एक ही क्षेत्र में उगाए जाने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं अतः बागवानी क्षेत्र में विविधता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पुष्प उत्पादन को वढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों से फूलों की खेती अधिक पैसा कमाने का साधन बनती जा रही है और किसान पुष्प उत्पादन को व्यवसायिक रूप में अपना रहे हैं। प्रदेश का जलवायु पुष्प उत्पादन के लिये अनुकूल होने के कारण यहां अधिकतर फूलों का उत्पादन उस समय होता है जबकि मैदानी इलाकों में फूल उपलब्ध नहीं होते। उच्च गुणवत्ता एवम् बेमौसमी फूलों के उत्पादन से यहां के पुष्प उत्पादकों को अच्छी आय प्राप्त होती है। प्रदेश में बागवानी क्षेत्रों में विविधता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। कुछ वर्ष पहले वैश्विक महामारी कोरोना के चलते प्रदेश में पुष्प उत्पादन के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है तथा वर्ष 2022–2023 के दौरान प्रदेश में लगभग 261.82हैक्टयेर क्षेत्र में व्यवसायिक पुष्प उत्पादन का कार्य हुआ है जिसमें से लगभग 93.60 हैक्टेयर क्षेत्र सरंक्षित खेती के अर्न्तगत रहा हैं। गत वर्ष प्रदेश में लगभग 10.43 करोड़ कटे फूलों और 1821.30 मी0 टन खुले फूलों का उत्पादन हुआ है, इसके अतिरिक्त पुष्प उत्पादकों द्वारा गमलीय पौधों व पुष्प बीजों का भी उत्पादन किया तथा इन सभी उत्पादों का सकल मूल्य 40.75 करोड़ का है। पुष्प उत्पादन से जहां किसानों की आमदनी में भी बढ़ौतरी हुई है वहीं और अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। व्यवसायिक पुष्प उत्पादन का कार्य मुख्यतः सिरमौर, कांगड़ा, मण्डी, सोलन, शिमला, चम्बा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, तथा कुल्लू जिलों में किया जा रहा है। प्रदेश में मुख्यतः ग्लेडियोलस, कारनेशन, गैन्दा, लिलियम, गुलदाउदी जरबरा, गुलाब तथा अन्य मौसमी फूलों की खेती की जा रही है जिसमें अधिकतर क्षेत्र ग्लेडियोलस, गुलदाउदी, कारनेशन, गुलाब तथा गैन्दा के अन्तर्गत है।

विभागीय पुष्प केन्द्र

पुष्प पौध सामग्री के संग्रह, प्रजनन एवं किसानों को पुष्प पौध सामग्री उचित दर पर उपलब्ध करवाने तथा फूलों की खेती को प्रदर्शित करने के उदेश्य से छः पुष्प नर्सरियां और दो आदर्श पुष्प केन्द्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किये गए हैं जो निम्न प्रकार से हैंः

क्र0सं0	पुष्प पौधशाला का नाम	जिला का नाम
1.	पुष्प नर्सरी, नव–बहार	शिमला
2.	पुष्प नर्सरी, छराबड़ा	शिमला
3.	आदर्श पुष्प केन्द्र, महोग–बाग, चायल	सोलन
4.	पुष्प नर्सरी, परवाणु	सोलन
5.	पुष्प नर्सरी, बजौरा	कुल्लू
6.	पुष्प नर्सरी, भट्टू	कांगड़ा
7.	पुष्प नर्सरी, धर्मशाला	कांगड़ा
8.	आदर्श पुष्प केन्द्र, पालमपुर	कांगड़ा

इसके अतिरिक्त विभाग के कई अन्य फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान केन्द्रों में भी पुष्प पौध सामग्री का रोपण किया गया है जिससे उत्पादकों को पुष्प उत्पादन कार्य का प्रदर्शन होता है तथा पुष्प सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।

वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न पुष्प नसर्रियों से निम्नलिखित पुष्प सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई गई जिससे लगभग 9.30 लाख रुपये की आय हुई है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पौध सामग्री का विवरण	मात्रा/संख्या
1.	कटिंग/पोलीथीन बैग में लगे पौधे	18459
2.	मौसमी पौधे	52786
3.	गमलों में लगे पौधे	14711
5	कटे फूल	11092

आदर्श पुष्प केन्द्र

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रदेश में व्यवसायिक पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो आदर्श पुष्प केन्द्र, महोगबाग चायल और पालमपुर में कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों में टिशुकल्चर प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। इन प्रयोगशालाओं में सेब के क्लोनल रूट स्टॉक के अतिरिक्त पुष्प पौध सामग्री का भी प्रवर्धन किया जा रहा है और पुष्प उत्पादकों तथा किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2022–2023 के दौरान 1410 सेब के क्लोनल रूट स्टॉक का प्रवर्धन किया गया और प्रदेश के किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाए गए।

इन केन्द्रों में कृषक प्रशिक्षण एवं सलाहकार सेवाओं की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं । आदर्श पुष्प केन्द्र, महोगबाग चायल में फसलोत्तर प्रबन्धन हेतु हैण्डलिंग यूनिट और पुष्प सामग्री के भण्डारण एवं उपचार हेतु शीत भण्डारण की सुविधा भी उपलब्ध है जहां प्रदेश भर से पुष्प उत्पादक लिलियम के कन्द भण्डारण के लिए समय–समय पर लाते हैं। इन केन्द्रों में लगभग 0.48 हैक्टेयर में हरित गृह स्थापित किये गये है।

अन्य उल्लेखनीय कार्य

1. लगभग 1917 किसानों एवं पुष्प प्रेमियों ने विभागीय नर्सरियों में आकर पुष्प तथा सजावटी पौधों को खरीदा तथा उनके रख–रखाव से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसानों को जानकारी देने हेतु 310 सलाहकारी दौरे किये गए।

2. पुष्प अनुभाग द्वारा विशिष्ट अतिथियों के शिमला आगमन पर तथा विभिन्न प्रकार के समारोहों के आयोजन पर मांग के अनुसार बुक्के और फूल मालाओं का प्रबन्ध करवाया गया तथा कार्यक्रम स्थल के सौंदर्यकर्ण हेतु सेवाऐं भी प्रदान की गई।

अध्याय–12

फल विधायन एवं परिरक्षण

फल व सब्जियों का विधायन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का एक अभिन्न अंग बन गया है जिसके अन्तर्गत एच.पी.एम.सी. की दो, संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र की एक–एक व उद्यान विभाग की 8 विधायन इकाईयां तथा अनेक निजी विधायन इकाईयां सम्मिलित हैं। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को फल सब्जियों के परिरक्षण हेतु प्रशिक्षण देना तथा सामुदायिक सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध स्थानीय फल सब्जियों का विधायन करना है। उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश इस विधायन उद्योग में प्रमुख भूमिका निभा रहा है जो कि प्रशिक्षण, सामुदायिक डिब्बाबन्दी सेवा के अतिरिक्त हिमकू ब्राण्ड के उत्तम फल पदार्थ भी तैयार कर रहा है।

विधायन योग्य फलों के उपयोग हेतु प्रदेश में 8 फल विधायन केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें से 3 फल विधायन इकाईयां उत्तरी क्षेत्र के नगरोटा बगवां (कांगड़ा), राजपुरा (चम्बा) तथा शमशी (कुल्लू) में स्थापित हैं, जिनका प्रशासनिक नियन्त्रण अतिरिक्त निदेशक उद्यान, धर्मशाला के पास है। फल प्रौद्योग विज्ञ, नगरोटा बगवां के पास फल विधायन केन्द्र, नगरोटा बगवां तथा राजपुरा का तकनीकी नियन्त्रण है, जबकि फल प्रौद्योगविज्ञ, शमशी के पास फल विधायन केन्द्र, शमशी का नियन्त्रण है। वर्ष 2001 के दौरान 5 फल विधायन इकाईयां नामतः टौणी देवी, नादौन (जिला हमीरपुर), किन्नू (जिला ऊना), देहरा, नूरपुर (जिला कांगड़ा) में स्थापित की गई हैं जिनका प्रशासनिक एवं तकनीकी नियन्त्रण फल प्रौद्योगविज्ञ, नगरोटा बगवां के पास है। इनकी स्थापना का उद्देश्य ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को फलों तथा सब्जियों के परिरक्षण हेतु प्रशिक्षण देना तथा सामुदायिक सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध स्थानीय फलों–सब्जियों का विधायन करना है।

अन्य 5 फल विधायन केन्द्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र नवबहार (शिमला), निहाल (बिलासपुर), राजगढ़, धौलाकुआं (सिरमौर) तथा रिकांगपिओ (किन्नौर) में कार्य कर रहे हैं, जिनका प्रशासनिक नियन्त्रण संयुक्त निदेशक उद्यान, शिमला के पास है। तकनीकी तौर पर बिलासपुर इकाई का नियन्त्रण फल प्रौद्योग विज्ञ, शिमला करते हैं तथा सिरमौर की दोनों इकाईयों का नियन्त्रण फल प्रौद्योगविज्ञ, धौलाकुआं के पास हैं। किन्नौर इकाई का नियन्त्रण विषय विशेषज्ञ उद्यान (फल परिरक्षण) रिकांगपिओ, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) के पास है।

वर्तमान में इन विधायन इकाईयों में विभिन्न प्रकार के जैम, फलों के रस एवं पेय पदार्थ, स्कवैश, चटनी, कैन्डी, मुरब्बा, फल एवं सब्जियों के आचार इत्यादि का उत्पादन और विक्रय का कार्य हो रहा है। सामुदायिक डिब्बाबन्दी सेवा के अन्तर्गत विभागीय इकाईयों द्वारा स्थानीय किसानों/बागवानों को उनकी उपज़ से विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्ज़ियों से निर्मित पौष्टिक पदार्थ उचित दरों पर तैयार करके उन्हें उपलब्ध करवा कर लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की महिलाओं, कृषकों, विद्यालयों के युवक–युवतियों को क्षेत्रीय स्तर पर फलों एवं सब्ज़ियों से परिरक्षित फल पदार्थ तैयार करने हेतु विभाग द्वारा उन्हें प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। इन विधायन इकाईयों में कार्यरत विशेषज्ञों द्वारा 60 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 2919 प्रशिक्षणार्थियों को फल विधायन एवं परिरक्षण हेतु घरेलू व व्यावसायिक स्तर पर व्यावहारिक जानकारी दी गई।

फल प्रौद्योगिक संभाग के अन्तर्गत गुणवत्ता नियन्त्रण एवं उत्पाद मानकीकरण प्रयोगशाला, नवबहार, शिमला–2 भी स्थापित की गई है, जिसका प्रशासनिक नियन्त्रण संयुक्त निदेशक उद्यान शिमला के पास है।

दिनांक 1–4–2022 से 31–3–2023 के दौरान फल विधायन एवं परिरक्षण गतिविधियों की भौतिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :–

क्र. स.	विवरण	शिमला	नगरोटा बगवां*	धौला कुआं	शमशी	रिकांग–पिओ	निहाल, बिलासपुर	राजगढ़	राजपुरा चम्बा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	फल सब्जियों का उपयोग (मी0 टनं)	4.90	12.95	10.57	15.38	5.56	7.76	9.21	3.20	69.53
2.	फल पदार्थों का उत्पादन (मी0 टनं)	9.21	18.54	13.37	11.38	3.00	8.56	3.10	4.29	71.45
3.	अर्ध–निर्मित फल पदार्थों का उत्पादन (मी0 टन)	–	–	8.62	–	0.80	3.95	6.49	–	19.86
4.	सामुदायिक डिब्बाबंदी सेवा के अंतर्गत ताजे फलों का उपयोग (मी0 टन)	17.14	4.99	0.03	15.21	19.50	7.57	8.07	0.24	72.75
5.	सामुदायिक डिब्बाबन्दी सेवा (मी0 टन)	10.00	6.36	0.13	14.70	11.57	6.60	8.13	0.34	57.83
6.	समुदायिक सेवा के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	308	818	3	1076	176	1163	120	31	3695
7.	प्रशिक्षण शिविरों की संख्या	5	15	5	9	1	7	3	8	53
8.	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	128	569	310	401	50	200	222	390	2270
9.	प्रदर्शनियां	–	7	3	1	–	2	2	3	18
10.	फल विधायन से प्राप्त आय (लाख रू0)	15.95	21.20	16.09	17.41	6.78	12.19	6.00	5.52	101.14

*इस केन्द्र के अन्तर्गत पांच फल विधायन एवं प्रशिक्षण केन्द्र क्रमशः टौणी देवी, नादौन जिला हमीरपुर, किन्नू जिला ऊना, देहरा व नूरपुर जिला कांगड़ा में कार्य कर रहे हैं। जिनकी उपलब्धियां इस केन्द्र के साथ दर्शाई गई हैं।

अध्याय–13

खुम्ब उत्पादन

हिमाचल प्रदेश में खुम्ब उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इसे कृषि गतिविधियों में सम्मिलित किया है जिससे किसानों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। उद्यान विभाग कृषकों को खुम्ब उत्पादन को स्वरोज़गार के रूप में अपनाने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है। प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में इस गतिविधि हेतु प्रशिक्षण तथा कम्पोस्ट उपलब्ध करवाने के लिये विषय विशेषज्ञ उद्यान (खुम्ब परियोजना), चम्बाघाट, जिला सोलन तथा दत्तनगर, जिला शिमला में कार्यरत है। खुम्ब उत्पादन से जुड़े कृषकों को विभाग द्वारा सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु उत्तरी क्षेत्र में कार्यरत विषय विशेषज्ञ उद्यान (खुम्ब), पालमपुर और धारबग्गी जिला कांगड़ा तथा विषय विशेषज्ञ उद्यान (फल विकास परियोजना), बजौरा, जिला कुल्लू में कार्यरत हैं। जिला सोलन के चंबाघाट में वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अंतर्गत 1.27 करोड़ रूपये की लागत से अंतराष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य संगठन की सहायता से खुम्ब विकास परियोजना की स्थापना की गई। पालमपुर में वर्ष 1987 में नीदरलैंड सरकार की सहायता से इंडो–डच खुम्ब परियोजना शुरू की गई तथा वर्ष 1990 से उद्यान विभाग इस परियेाजना में स्वयं खुम्ब खाद बनाकर किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। बजौरा तथा धारबग्गी कम्पोस्ट इकाईयों ने वर्ष 2004 से कार्य करना आरम्भ किया। वर्ष 2022–2023 के दौरान विभागीय इकाई, दत्तनगर में 120 टन, पालमपुर में 231.98 टन एवं बजौरामें 74.96 टन खुम्ब खाद का उत्पादन किया गया। सोलन की खुम्ब खाद निर्माण इकाई राष्ट्रीय उच्च मार्ग के फोर लेनिंग निर्माण कार्य के कारण बन्द है।

खुम्ब विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यान विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

1. प्रदेश के कृषकों को खुम्ब उत्पादन तकनीक का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान हिमाचली प्रशिक्षणार्थियों को ₹250/– प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है तथा इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश खुम्ब विकास योजना के अंतगर्त 1000/– रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी खर्च किए जाते है।
2. इस प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों को खुम्ब उत्पादक के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
3. खुम्ब उत्पादकों को उत्तम गुणवत्ता की पास्चुराईज़्ड कम्पोस्ट की आपूर्ति।
4. खुम्ब उत्पादकों को उत्तम गुणवत्ता की केसिंग मिट्टी की निशुल्क आपूर्ति।
5. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आई0 आर0 डी0 पी0 वर्गों के पंजीकृत खुम्ब उत्पादकों को कम्पोस्ट पर ₹40/– प्रति ट्रे की दर से तथा लघु एवं सीमान्त किसानों तथा बेरोज़गार स्नातक वर्ग के पंजीकृत खुम्ब उत्पादकों को ₹20/– प्रति ट्रे की दर से निर्धारित उपदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 400 ट्रे तक दिया जाता है।
6. खुम्ब खाद के परिवहन पर भी अनुदान की दर शत–प्रतिशत है।
7. इच्छुक पंजीकृत खुम्ब उत्पादकों को खुम्ब भवन की स्थापना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों अथ्वा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्रकरण तैयार करने में सहायता।
8. खुम्ब उत्पादकों द्वारा लाये गये कम्पोस्ट व केसिंग मिट्टी के रोगग्रस्त नमूनों की निःशुल्क जांच।
9. खुम्ब उत्पादकों के खुम्ब भवन पर जाकर आवश्यक तकनीकी सेवा उपलब्ध करवाना।
10. उत्पादकों को खुम्ब उत्पादन सम्बन्धी साहित्य की निःशुल्क आपूर्ति।
11. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत खुम्ब उत्पादकों को खुम्ब भवन 20'X12'X10' की स्थापना के लिए 50,000/– रुपये की सहायता राशि।
12. एम.आई.डी.एच. स्कीम के अन्तर्गत कम्पोस्ट यूनिट के लिए ₹8 लाख, खुम्ब बीज इकाई के लिए ₹6 लाख तथा उत्पादन इकाई हेतु ₹8 लाख की सहायता राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दी जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गईः

क्र.सं.	विवरण	इकाई	भौतिक उपलब्धि
1.	नई खुम्ब इकाईयों का पंजीकरण	संख्या	109
2.	नई खुम्ब इकाईयों की स्थापना	संख्या	33
3.	कम्पोस्ट का उत्पादन :		
	क. विभागीय इकाईयों में	टन	417.14
	ख. निजी इकाईयों में	टन	26554
4.	विभागीय इकाईयों से कम्पोस्ट का वितरण :		
	क. विशेष घटक योजना (राज्य योजना) व विशेष केन्द्रीय सहायता	टन	151.7
	ख. जनजाति उप योजना (आऊट साईड ट्राईबल एरिया)	टन	5.28
	ग. लघु/सीमान्त बागवान	टन	212.14
	घ. सामान्य योजना	टन	48.02
	योग	**टन**	**417.14**
5.	खुम्ब खाद कम्पोस्ट के वितरण से लाभान्वित बागवान :		
	क. विशेष घटक योजना (राज्य योजना) ख. विशेष केन्द्रीय सहायता	संख्या	51
	ग. जनजाति उप–योजना (आऊट साईड ट्राईबल एरिया)	संख्या	3
	घ. लघु एवं सीमान्त बागवान	संख्या	93
	ड. सामान्य योजना	संख्या	10
	योग	**संख्या**	**157**
6.	स्पॉन बोतलों का वितरण :		
	(i) विभाग द्वारा वितरित स्पॉन बोतल 200 ग्राम	संख्या	2418
	(ii) निजि इकाईयों द्वारा वितरित स्पॉन बोतल 200 ग्राम	संख्या	264964
	योग	**संख्या**	**267382**
7.	खुम्ब उत्पादन :		
	(i) विभागीय इकाईयों में	टन	–
	(ii) निजी इकाईयों में	टन	16182.4
	कुल खुम्ब उत्पादन	**टन**	**16182.4**
8.	खुम्ब उत्पादन में प्रशिक्षित बागवान	संख्या	1489

अध्याय–14

उद्यान सूचना सेवा

उद्यान सूचना सेवा प्रदेश में बागवानी विकास के लिये सभी संचार माध्यमों जिनमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, चलचित्रों, प्रदर्शनियों, मेलों तथा मुद्रणालय के माध्यम से बागवानी से सम्बन्धित विषयों पर न सिर्फ कृषकों को ही जानकारी उपलब्ध करवाता है अपितु प्रसार कार्यकर्ताओं को भी आधुनिक एवं सम्सामायिक तकनीकी ज्ञान से अवगत करवाता है। विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विकास योजनाओं, सहायतायें एवं सुविधाओं की जानकारी सूचना अनुभाग द्वारा कृषकों को प्रोत्साहित करने के उददे्श्य से तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त विविध कार्य जैसे निविदायें छपवाना, प्रैस नोट, चलचित्रों का निमार्ण एवं प्रदर्शन, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्यानिकी उत्पादों की प्रदर्शनियों/प्रतियोगिताओं का मेलों के अवसर पर आयोजन तथा आवश्यकतानुसार प्रदर्शनीय सामग्री तैयार करके बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है।

प्रतिवेदन काल में जो साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन, प्रसार भारती से कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण, समाचार पत्रों द्वारा प्रचार–प्रसार तथा अन्य कार्य उद्यान सूचना अनुभाग द्वारा किए गए हैं, उनका विवरण इस प्रकार से हैः–

(1) **औद्यानिकी साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशनः**–किसान–बागवानों तक उन्नत बागवानी तकनीकी तथा विभिन्न योजनाएं जो उद्यान विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, उनकी जानकारी पहुंचाने में पाठ्य सामग्री का विशेष योगदान है। कृषकों को बागवानी सम्बन्धित तकनीकी जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न विषयों पर पाठन सामग्री वितरण करने हेतु प्रकाशित करवाया जाता है, जिसे निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रशिक्षण शिविरों, प्रदर्शनियों एवं किसान मेलों के दौरान इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध करवाया जाता है। कृषकों को लाभान्वित करने हेतु औद्यानिकी सम्बन्धी विषयों पर अनेक प्रकाशन मुद्रित किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार हैः–

1. Spray Schedule Year 2022 (Apple)
2. छिड़काव सारणी 2023 (सेब)
3. छिड़काव सारणी 2023 (आम, नीम्बू प्रजातीय फल)
4. प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–23
5. उद्यान कार्ड

(2) **प्रसार भारती, शिमला द्वारा उद्यान कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसारः**–भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई स्कीमें (Mass Media Support to Agriculture Extension) के अन्तर्गत रेडियो व दूरदर्शन बागवानों एवं किसानों तक उन्नत औद्यानिकी कार्यक्रमों तथा नवीनतम तकनीकी जानकारी दूरदराज क्षेत्रों में पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है।

विभिन्न अवसरों पर आवश्यक सूचना, प्रेस नोट, समाचार विज्ञप्तियों के आकाशवाणी/दूरदर्शन से प्रसारण हेतु आवश्यक पग उठाए गए।

(3) **समाचार पत्रों/पत्रिकाओं द्वारा प्रचारः**–प्रदेश में बागवानी व्यवसाय तथा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने हेतु विभाग के कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी समाचार पत्रों में विज्ञापन, लेख, प्रैस विज्ञप्ति आदि छपवाकर इन्हें समय–समय पर जारी किया गया। विभाग की गतिविधियों एवं विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही एकीकृत बागवानी विकास मिशन की योजनाओं, फल परिरक्षित पदार्थ, सेब के पुराने बागीचों का जीर्णोद्धार तथा विभागीय पुष्प पौधशालाओं में उपलब्ध पौध सामग्री के प्रचार–प्रसार

के लिये विभिन्न समाचार पत्रों/साप्ताहिकों/सोविनियर इत्यादि के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते है। विभिन्न अवसरों पर जारी होने वाली स्मारिकाओं में भी उद्यान विभाग के कार्यक्रमों से सम्बन्धित विज्ञापन जनहित में प्रकाशित किए जाते है जिससे अधिक से अधिक किसान–बागवान लाभान्वित हो सकें।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में अधिनिस्थ कार्यालयों से प्राप्त निविदाओं एवं अन्य विविध प्रचार सामग्री को प्रकाशित करवाने हेतु आगामी कार्रवाई की गई। समय–समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित भ्रामक समाचारों के स्पष्टीकरण/खण्डन हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई।

(4) **उद्यान प्रदर्शनियों व झांकियों का आयोजनः**–उद्यान सूचना सेवा द्वारा बागवानी से सम्बन्धित विषयों पर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फल प्रदर्शनियों/प्रतियोगिताओं व मेलों के अवसर पर आयोजन तथा आवश्यकतानुसार प्रदर्शनीय सामग्री तैयार करके उद्यान गतिविधियों को दर्शाया जाता है। विभागीय गतिविधियों को दर्शाने हेतू विभाग द्वारा निम्नलिखित (I-III) मेलों में हर वर्ष भाग लिया जाता है परंतु कोविड–19 महामारी की वजह से इस दौरान मेलों का आयोजन न होने के कारण विभाग द्वारा प्रदर्शनियां नहीं लगाई जा सकी।

I. अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मेलेः

(1) मिंजर मेला, चम्बा (2) मेला रेणुका, रेणुका (3) दशहरा मेला, कुल्लू (4) लवी मेला, रामपुर बुशहर (5) शिवरात्रि मेला, मण्डी (6) अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (7) अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव।

II. राज्य स्तरीय मेलेः

(1) मेला, रोहडू (2) मेला, आनी (3) होली मेला, पालमपुर (4) शिवरात्रि मेला, बैजनाथ (5) होली मेला, सुजानपुर (6) शिवरात्रि मेला, काठगढ़ (इन्दौरा) (7) शिवरात्रि मेला, सुलह (अक्षयाण) (8) दशहरा मेला, जयसिंहपुर (9) जनजातीय महोत्सव, केलांग (10) हमीर उत्सव हमीरपुर, (11) जनजातीय महोत्सव, रिकांगपिओ (12) नलवाड़ मेला, बिलासपुर, (13) सोनभद्र उत्सव, ऊना (14) शूलिनी मेला, सोलन।

III. अन्य मेलेः

1. शिरगुल मेला, सराहां, सिरमौर (2) सीपुर मेला, मशोबरा (3) वामन द्वादशी मेला, सराहां (सिरमौर) (4) रेड क्रास मेला, शिमला (5) रैडक्रास मेला, ठियोग।

IV. राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी, 2022 के अवसर पर विभागीय झांकी में औद्यानिकी सम्बन्धीत गतिविधियों के प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

(5) **अन्य विविध कार्यः** उद्यान विभाग के पुस्तकालय में विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने के उददे्श्य से तकनीकी साहित्य, समाचार पत्र तथा पत्रिकायें उपलब्ध करवाने के प्रयास किए गए। विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों, स्मारिकाओं तथा पत्रिकाओं में प्रकाशन से विभाग से सम्बन्धित निविदा सूचनाएं, रोजगार सूचनाएं तथा तकनीकी जानकारी सम्बन्धी सूचनाओं का प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रकाशन विज्ञापनों को प्रसारित करवाया गया। इसके अतिरिक्त समसामयिक गतिविधियों तथा अन्य जानकारी का प्रसार भारती के माध्यम से प्रसारण करवाया गया।

(6) **अन्य उल्लेखनीय कार्यः**

वर्ष के दौरान शिमला में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी हेतु पुष्प अनुभाग को तकनीकी सहयोग दिया गया। इस आयोजन पर पुष्प एवं गमलीय पौधों की प्रदर्शनी तथा फल विधायन केन्द्र शिमला द्वारा विभिन्न पदार्थों की बिक्री हेतु स्टाल लगाया गया।

अध्याय–15

उद्यान अर्थ एवं सांख्यिकी

विभाग द्वारा योजना को वैज्ञानिक ढंग से नियोजित करने के लिये विश्वसनीय आधारभूत सांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। नीति निर्धारण तथा योजना विश्लेषण हेतु शुद्ध आंकड़े सांख्यिकी पद्धति द्वारा ही बनाये जा सकते हैं जिसकी आवश्यकता अब बहुमुखी आकार प्राप्त कर चुकी है। बागवानी में सतत् विकास हेतू विभाग द्वारा योजना को वैज्ञानिक ढंग से नियोजित करने के लिये विश्वसनीय आधारभूत सांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। उद्यान विभाग में उद्यान अर्थ एवं सांख्यिकी अनुभाग की स्थापना की गई है जो कि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों से सम्बन्धित सभी प्रकार के आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा संकलन करता है तथा संकलित प्रतिवेदन सरकार तथा सम्बन्धित विभागों को नियमित रूप से भेजा जाता है।

इस अनुभाग द्वारा प्रदेश में उत्पादित विभिन्न फलों का अनुमान लगा कर समय–समय पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, तूफान, सूखा तथा कोहरा इत्यादि से फल फसलों एवं फल पौधों को हुई क्षति का विवरण तैयार करने के पश्चात् अनुमानित फल उत्पादन की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न फलों विशेषतया सेब, आम व नीम्बू प्रजाति के फलों के लिये मण्डी मध्यस्थता योजना तैयार करने व फलों को विपणन हेतु मण्डियों में पहुंचाने के लिये विस्तृत योजना तैयार की जाती है तथा वर्ष के अन्त में प्रदेश में पैदा हुये विभिन्न फलों का वास्तविक उत्पादन जिलावार व फलवार विवरण तैयार किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष औसतन 15 से 20 लाख फल पौधों का वितरण प्रदेश के किसानों को किया जाता है। फल पौधों के वितरण के आधार पर फल पौधों की मृत्यु दर के पश्चात् विभिन्न फल पौधों के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्रफल का जिलावार व विकास खण्डवार विवरण तैयार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विभाग में चलाई जा रही सूचना प्रौद्योगिकी योजनाओं जैसे कि एग्रीसनैट, एन0 ई0 जी0 पी0 तथा एजीसैक का संचालन इस अनुभाग द्वारा किया जा रहा है। विभागीय वैबसाईट की देखरेख का कार्य भी इसी अनुभाग द्वारा किया जा रहा है। एग्रीसनैट के अन्तर्गत बागवानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान विभाग के विशेषज्ञों द्वारा इन्टरनैट के माध्यम से किया जा रहा है। बागवान घर में बैठकर एग्रीसनैट के पोर्टल से विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनसे लाभ उठा सकते हैं।

उद्यान विभाग द्वारा बागवानी के विकास के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक अनुश्रवण हेतु इस अनुभाग द्वारा इन योजनाओं के अन्तर्गत वितरित लक्ष्यों के आधार पर जिलावार उपलब्धियों का संकलन किया जाता है तथा प्रतिवेदन को समय–समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 2022–23 में मुख्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों का सारांश

क्र0सं0	विवरण	इकाई	कुल प्रगति
1	2	3	4
1.	फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यानों में कुल पौधों का उत्पादन	संख्या (लाख)	10.10
2.	फल पौधों का वितरण	संख्या (लाख)	13.42
3.	पत्ती विश्लेषण सेवा के अन्तर्गत कुल विश्लेषित नमूने	संख्या	14853
4.	क. पौध संरक्षण के अन्तर्गत लाया गया कुल क्षेत्र	है0	153084
	ख. जैव नियन्त्रण के अन्तर्गत लाया गया	है0	608.52
5.	बागवानी के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	है0	3641.55
6.	बागवानी के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल (2022–23)	है0	235845
7.	फल पौधों की शीर्ष कलमबन्दी	संख्या	29810
8.	फलदार पौधों की कांट–छांट	संख्या	72827
9.	कुल फल उत्पादन	लाख टन	8.15
10.	कुल शुष्क हॉप्स उत्पादन	मी0 टन	–
11.	कुल खुम्ब का उत्पादन	मी0 टन	16182.4
12.	पुष्प उत्पादन के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल	है0	261.82
13.	कुल मधु उत्पादन	मी0 टन	2120.114
14.	विभागीय फल विधायन केन्द्रों में कुल निर्मित फल पदार्थ	मी0 टन	91.31
15.	सामुदायिक डिब्बाबन्दी सेवा के अन्तर्गत कुल निर्मित पदार्थ	मी0 टन	57.83
16.	प्रशिक्षण शिविरों में कुल प्रशिक्षित बागवान	संख्या	67647
17.	मण्डी विपणन के अन्तर्गत कुल मण्डियों का लाना	संख्या	40
18.	प्रदर्शन के रूप में फल बक्सों की ग्रेडिंग एवं पैकिंग	संख्या	69002

अध्याय–16

बागवानी विकास हेतु विश्व बैंक पोषित, हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना

बागवानी विकास हेतु विश्व बैंक पोषित, हि0 प्र0 बागवानी विकास परियोजना, प्रदेश में वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ की गई है। यह परियोजना की कुल राशि 146 मिलियन डॉलर रहेगी, जिसकी समयावधि कुल सात वर्ष 2022–2023 (2023–24 संशोधित)तक के लिए प्रस्तावित है, जिसका मुख्य उद्देश्य चिन्हित बागवानी उत्पादों तथा फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं विपणन हेतु आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना, लघु किसानों व कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है।

इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2022–23 तक उन्नत किस्म के सेब, अखरोट, चैरी, नाशपाती, पलम, आडू आदि के 30.22 लाख पौधे व मूलवृंत आयात किए गये हैं जिन्हें प्रारम्भ में उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश के चिन्हितफल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों के फार्म में क्वारंटाइन हेतु लगाया गया। इनमें से वर्ष 2022–23 में 2.13लाख पौधे बागवानों में वितरित किए गए हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पृथक रूप से अब तक 28887 फल पौधे परियोजना के अन्तर्गत बागवानों में वितरित किए गए है। परियोजना के अंतर्गत 30 किसान उत्पादक संगठनों का गठन कर उनको पंजीकृत किया गया है। जिसके लिये प्रारंभिक तौर पर 492 समान रूचि किसान समूह (commen interest group) तैयार कर लिये गए है और 12896 बागवानों को सम्मिलित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतू 191.78 करोड़ रू0 की राशि खर्च की जा चुकी है तथा इसके अंतर्गत कुल 270 करोड़ रू0 खर्च किए जाएंगे।

परियोजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यकलापः

उक्त परियोजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यकलापों के निम्न घटक व संघटक हैंः

(क) बागवानी उत्पादन व विविधिकरणः चिन्हित फल फसलों की दीर्घकालिक उत्पादकता बढ़ाने हेतु समुचित विश्व स्तरीय जानकारी व तकनीक बागवानों को उपलब्ध करवाई जा रही है जिसमें निम्न संघटक होंगेः

(i) विश्व स्तरीय व अधिक उपज देने वाली रोग मुक्त फल फसलों की किस्मों की उपलब्धता व तकनीकी हस्तांतरण सुनिश्चित् करना। देश व विदेशों से उच्च गुणवत्ता वाली विभिन्न फल फसलों के पौधों का आयात करने के पश्चात् इन किस्मों का विभागीय फल पौधशालाओं में संवर्धन करके फल पौधों को बागवानों की मांग के अनुसार उपलब्ध करवाना।

(ii) जलवायु परिवर्तन के परिपेक्ष में उपयुक्त तकनीकों को बढ़ावा देना। इसके अन्तर्गत लगभग सेब के अधीन 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर उत्पादकता बढ़ाना लक्ष्य है। विश्व स्तर पर अपनाई जा रही सेब व अन्य शीतोषण फल फसलों की सघ़न खेती के अन्तर्गत कलोनल रुट स्टॉक पर आधारित सुधरी किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार से फल फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देना शामिल है।

(iii) परियोजना के अन्तर्गत अधिक पूंजी वाली आधुनिक तकनीकों जैसे कि सघन बागवानी, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली व प्राकृतिक आपदाओं से फल फसलों के बचाव के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना।

(ख) बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना व कृषि आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देनाः प्रदेश के किसानों व बागवानों को कृषि व बागवानी की फल फसलों की उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त

हो सके इसके लिए विपणन अधोसंरचना सुदृढ़ करना तथा खेत खलिहान स्तर पर ही उपज के रख–रखाव व उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

इसके संघटक निम्न प्रकार हैः

(i) किसान समूहों का गठन तथा उनके द्वारा सामूहिक रुप से उपज का एकत्रीकरण व विपणनः परियोजना के अन्तर्गत 30 किसान समूहों व सामुदायिक किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना। इन केन्द्रों पर किसान व बागवान अपनी उपज को सामूहिक रुप से ग्रेडिंग व पैकिंग तथा उत्पादों को प्रदेश व देश की मण्डियों में विपणन की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाना।

(ii) शीत भण्डारण एवं विधायन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरणः इस संघटक के अन्तर्गत प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रम एच.पी.एम.सी. द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही ग्रेडिंग पैकिंग, सी0 ए0 स्टोर व विधायन सुविधाओं का आधुनिकीकरण व उन्नतिकरण करना। इसके अतिरिक्त बागवानों की फल फसलों की उपज को एच.पी.एम.सी. के सी0 ए0 स्टोरों में भण्डारण की सुविधा उपलब्ध करवाना तथा नेगोशियेबल वेयर–हाउस रसीद के अन्तर्गत बागवानों की भण्डारित फल फसलों के मूल्य के बराबर विक्रय होने तक बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना।

(iii) कृषि आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देने हेतु बागवानों को सुविधाएं उपलब्ध करवानाः इस संघटक के अन्तर्गत प्रदेश में कृषि आधारित चिन्हित व्यवसायों को बढ़ावा देने हेतु परियोजना के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इस कार्य के निष्पादन हेतु विशेषज्ञोंकी नियुक्ति,इन विशेषज्ञोंद्वारा सम्बन्धित व्यवसायों के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध करने वाले उद्यमियों के लिए कारोबारी योजना तैयार करना तथा इस बारे प्रशिक्षण प्रदान करने व उद्यमियों द्वारा चयनित व्यवसायों की स्थापना हेतु बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना।

(ग) विपणन सुविधाओं को विकसित करना व इनका आधुनिकीकरणः

(i) इस घटक का मुख्य उद्देश्य किसानों व बागवानों को उच्च स्तरीय विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना तथा मण्डियों का आधुनिकीकरण व नई मण्डियों को स्थापित करना।

(ii) बागवानों को फल फसलों व सब्जियों के विपणन से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु (ICT)कक्ष स्थापित करना। किसानों व बागवानों को फल फसलों व सब्जियों का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड में एक(ICT) कक्ष स्थापित करना प्रस्तावित है जिससे किसानों को विभिन्न मण्डियों के भाव के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो ताकि किसानों व बागवानों को अपने उत्पादों का पारदर्शी विपणन व्यवस्था स्थापित होने पर उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

(iii) परियोजना प्रबन्धन, प्रबोधन व अध्ययनः इस घटक के अन्तर्गत परियोजना के कियाकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन करने हेतु प्रदेश स्तर पर परियोजना समन्वयन इकाई व विभागीय स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाईयाँ स्थापित करना। इसके अलावा परियोजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़ी इकाईयों व

उद्यान विभाग के निदेशालय, जिला व खण्ड स्तर के कार्यालयों को सूचना व संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली (ICT) से जोड़ा जाना। इसके अतिरिक्त परियोजना के अनुश्रवण हेतु प्रबोधन व मूल्यांकन (M&E) एजेंसी की नियुक्ति भी की गई है।

(iv) परियोजना का कार्यक्षेत्र : इस परियोजना के अतंर्गत प्रदेश के 09 जिलों में 273 जल उपभोक्ता समूह पंजीकृत किए जा चुके हैं। 261 जल उपभोक्ता संगठनों की डीपीआर तैयार की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत 12,707 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाया जा रहा है। इन डीपीआर की कुल लागत रूपए 248.32 करोड़ है, जिनमें से मार्च 2023 तक 191.78 करोड़ रूपए की राशि 261 जल उपभोक्ता संगठनों को जारी की गई है।

अध्याय–17

हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्यवर्धन परियोजना (एचपी शिवा):

हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना में एक छोटा पहाड़ी राज्य है तथा इसकी पहचान उच्च गुणवत्ता युक्त बेमौसमी फल फसलों को पैदा करने वाले अग्रणी राज्य के रूप में है। प्रदेश का अधिकतर भाग पहाड़ी होने के कारण तथा 10%से भी कम कृषि योग्य भूमि में होने वाली कृषि व बागवानी का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 15%का योगदान है। प्रदेश की 90% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा 62% से अधिक लोग कृषि व बागवानी से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में 40 विभिन्न प्रकार के फलों को किसानों व बागवानों द्वारा उगाया जा रहा है। इन सभी फलों में सेब अग्रणी है तथा फलोत्पादन में इसका योगदान 79% है।

प्रदेश में विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाने की संभावना व अन्य कारण जैसे सीमावर्ती उपभोक्ता बाजार से नजदीकी, विभिन्न फलों को उगाने हेतु उपयुक्त जलवायु, विपणन की आपार संभावना, बागवानी के क्षेत्र में विविधता लाने, युवा वर्ग का रोजगार की तलाश में शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने तथा उन किसानों, जिन्होंने बंदरों व जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान के कारण खेती योग्य भूमि को छोड़ दिया, को बागवानी के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु राज्य में बागवानी के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्यवर्धन परियोजना (एचपी शिवा) एशियन विकास बैंक की सहायता से प्रदेश के 7 जिलों (कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर) के 28 विकासखंडों में चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत 6000 है0 क्षेत्रफल में 15000 किसान परिवार लाभान्वित होगें।

परियोजना के उद्देश्यः

- जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से फल फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जंगली जानवरों व बंदरों आदि द्वारा फल फसलों को सालाना 500 करोड़ रूपए का नुकसान।
- युवा वर्ग का रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन को रोकना।
- पानी की कमीः मानसून के मौसम के दौरान वर्षा का लगभग 75% पानी बह जाना तथा केवल 25% संभावित सिंचित क्षेत्रों का विकास होना। पानी का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना।
- फल फसलों में विविधता लाकर हिमाचल को फल राज्य बनाना।
- उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी का वाणिज्यिक विकास करना।
- हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के व मैदानी क्षेत्र के बागवानों की आय के अंतर को कम करना।
- जलवायु परिवर्तनः जलवायु परिवर्तन का समशीतोष्ण क्षेत्रों में मध्यम जोखिम।
- किसानों को उपभोक्ता मूल्य का 25% से कम प्राप्त होना।

परियोजना के अन्तर्गत कार्य की सूचीः

- रोपण सामाग्री की खरीद, उच्च गुणवत्ता की फल पौध का उत्पादन।
- अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं, फसल मॉड्यूल इत्यादि का उन्नयन।

- किसानो के खेतों में सिंचाई सुविधा, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चींग इत्यादि।
- सामुदायिक स्तर पर बागीचों की बाड़ बंदी–सौर तथा कांटेदार तार इत्यादि।
- जल स्त्रातों का निर्माण, सुदृढीकरण, स्त्रोत से बागीचे तक जल परिवहन, पूर्वनिर्मित वर्षा जल संग्रहण संरचनाएं इत्यादि।
- मानव संसाधन विकास–किसान उत्पादक संगठनों का कौशल उन्नयन।
- फसल सस्योत्तर ढ़ांचे को सुदृढ़ बनाना।
- खाद्य प्रसंस्करण–मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा।
- बजार आधारभूत संरचना की स्थापना।
- कृषि–व्यापार उद्यमिता विकास।
- जैव–नियंत्रण, ऊतक विश्लेषण, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला आदि की स्थापना।
- संस्थागत मजबूती, प्रशासनिक, सूचना प्रसार, आकस्मिकता, तकनीकी स्टाफ, परामर्शदात्री सेवाएं इत्यादि।

एशियन विकास बैंक ने एचपी शिवा परियोजना को दो चरणों में लागू करने को प्रस्तावित किया है।

- प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग (पीआरएफ)–74.75 करोड (दिसंबर, 2020 से नवंबर, 2022)
- मुख्य प्रोजेक्ट ऋणवित्तवर्ष– 163 मिलियन डॉलर/1292 करोड़ (2022–23/2023–24 से 2027–2028)

एशियन विकास बैंक मिशन ने प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिग (पीआरएफ) के अंतर्गत 10 मिलियन डॉलर (लगभग 75 करोड़) की वित्त पोषण योजना के लिए भारत सरकार के साथ 30 दिसंबर 2020 को परियोजना व ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जो कि 10 फरवरी 2021 से प्रभावी हो गया है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार से 74.75करोड़ रू0 का बजट पीआरएफ के लिए प्राप्त हुआ है जिसमें से 71.03करोड़ रूपये विभिन्न मदों की गतिविधियों के लिए मार्च 2023 तक व्यय किया गया।

परियोजना के अंतर्गत गतिविधियांः

- बागवानी विकास समूहों (CHPMA) एवं जल उपयोगकर्ता संघों (WUA) का गठन।
- सामूहिक कलस्टरों को चिन्हित करना।
- कलस्टर इकाई हेतू कम से कम 10 है0 इकट्ठी भूमि का चयन करना।
- उन्नत किस्म के फल पौध सामग्री उपलब्ध करवाना।
- चिन्हित कलस्टरों में फल फसलों को जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से बचाने हेतु बाड़बंदी करना।
- सघन बागवानी हेतु बागीचों की रूपरेखा, मिटटी जांच करवा कर फल फसलों का चयन व रोपण करना।

- सुनिश्चित सिंचाई हेतु पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना तथा नई परियोजनाएं तैयार करना।
- बागीचों में जल भंडारण टैंक व टपक सिंचाई प्रणाली की स्थापना।
- खरपतवार के नियंत्रण हेतु मलचिंग शीट बिछाना।
- फसल प्रबंधन ढांचे को सुदृढ करना।
- बाजार आधारभूत सरंचना की स्थापना एवं सामूहिक विपणन व्यवस्था प्रदान करना।
- बागवानों को प्रशिक्षित करना।

प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग के अतंर्गत 4 फलों (नींबू प्रजातीय, अमरूद, लीची व अनार) का चयन किया गया है। इन फलों को प्रदेश के चार जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा के 12 विकास खंडों में 17 कलस्टरों में लगाया गया है। पीआरएफ में 17 कलस्टरों के अन्तर्गत 199.67 हैक्टेयर क्षेत्रफल में 2,66,583 फल पौधे लगाए गए हैं, जिससे 1081 किसान लाभान्वित हुए हैं।

पीआरएफ–कलस्टरों का विवरणः

क्रं सं.	जिला	विकास खंड	पीआरएफ–सब प्रोजेक्ट्स साइट्स	क्षेत्रफल (है0)
1.	**कांगड़ा**	बैजनाथ	सैहल	7.2
		बैजनाथ	धानग (घरथोली)	11.5
		भवारना	घरूं (दहन)	11.2
		सुलह	लाहट	14.5
		लम्बागांव	रीटट्रैहला	10.0
2.	**बिलासपुर**	सदर	मझेहड	17.0
		स्वारघाट	दुलहेट	18.23
		घुमारवीं	झंडुता	13.25
		घुमारवीं	तलवाडा	10.81
3.	**मंडी**	धर्मपुर	दबरोट	8.5
		धर्मपुर	बिंगा	10.0
		धर्मपुर	कलस्वाई / घमदाल	10.9
		धर्मपुर	नेरी / संन्धोल	9.5
		गोपालपुर	मटौर–टांडा	14.46
		सुंदरनगर	कलहौड़	12.62
4.	**हमीरपुर**	बमसन	कैहडरू	10.0
		सुजानपुर	भलेऊ	10.0
	कुल क्षेत्रफल			**199.67**

मुख्य प्रोजेक्ट के तहत 6,000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में एचपी शिवा की गतिविधियां की जानी प्रस्तावित हैं जिसके लिए वर्ष 2021 में लगभग 4000 हेक्येटर क्षेत्रफल में पौधारोपण व अन्य कार्यों हेतु 257 क्लस्टर चिन्हित किए जा चुके हैं परियेाजना के प्रथम चरण में चयनित विकास खंडों की सूची निम्नलिखित हैः

क्रं. सं.	जिला	विकास खंड	विकास खंडों की संख्या
1.	बिलासपुर	सदर, झंण्डुता, घुमारवीं, स्वारघाट	4
2.	हमीरपुर	हमीरपुर, भोरंज, सुजानपुर, बमसन, बीजड़, नादौन	6
3.	मण्डी	चौंतडा, गोपालपुर, धर्मपुर, सुंदरनगर, बल्ह/गोहर, सदर।	6
4.	कांगड़ा	भवारना, बैजनाथ, पंचरूखी, सुलह, देहरा, प्रागपुर, लंबागांव	7
5.	सोलन	कुनिहार, नालागढ़	2
6.	सिरमौर	नाहन, पौंटा–साहिब	2
7.	ऊना	ऊना/बंगाणा	1
		कुल	**28**

मुख्य परियोजना कार्यान्वन की अवधि (2022–23) से 2027–2028 (7 वर्ष) होगी इसके तहत प्रदेश के 7 जिले एवं 28 विकासखंड लाए जाएगें जिससें 6000 है0 क्षेत्रफल में 400 क्लस्टर बागवानी के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। क्षेत्र की पहचान तथा आगामी ऋण के लिए परामर्श सेवाओं की सहायता लेने हेतु डिजाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा मुख्य परियोजना के लिए DPR तैयार कर ली गई है जिसमें 163 मिलियन डॉलर (1292 करोड़) की लागत से पौधरोपण का कार्य आगामी पांच वर्षों में किया जाएगा तथा परियोजना से 20,000 किसान परिवार लाभान्वित होंगे।

अध्याय–18

सूचना एवं प्रोद्योनिकी

हिमाचल प्रदेश सरकार, हि0 प्र0 को डिजिटल रूप से सशक्त राज्य में बदलने की दृष्टि से विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉच किए गए है। डिजिटलीकरण के क्षेत्र में, बागवानी विभाग ने सभी केंद्रीय व राज्य योजनाओं और नागरिक केंद्रित सेवाओं को डिजिटलरकरण करके मील का पत्थर हासिल किया है। डिजिलीकरण डिजिटल प्लेटफॉर्म का अभिन्न अंग है। आईटी सेल का लक्ष्य सरकारी कामकाज के मूल को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान देना है जो अंततः उपरोक्त पहलुओं के वांछनीय मूल्य लाएगा। आईटी सेल सितंबर 2020 के दौरान अस्तित्व में आया और उस समय से आईटी और अन्य गतिविधियों के क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आईटी सेल की कार्यप्रणाली का अवलोकन इस प्रकार हैः

1. **ई उद्यान पोर्टलः**–राज्य के नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए, ई उद्यान पोर्टल मई, 2020 के दौरान लॉन्च किया गया था और इसे लागू करने के उद्देश्य से जुलाई, 2020 के अंत में आईटी सेल का गठन किया गया था। विस्तृत विचार–विमर्श करने और कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास करने के बाद, राज्य के लोगों के लिए सभी नागरिक केंद्रित सेवाओं के साथ–साथ सभी केंद्रीय और राज्य योजनाओं को सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से लाइव किया गया है। आज तक, सभी सब्सिडी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और विभाग के अधिकारियों द्वारा बहुत कुशलता से ऑनलाइन निपटाए जाते हैं। जिसकी तुलनात्मक स्थिति नीचे संलग्न है

क्रमांक सं0	कुल आवेदन	कुल स्वीकृत	कुल अस्वीकृत	कुल लंबित	बजट के लिए प्रतिक्षित गैर उपलब्धता	कुल होल्ड पर
1.	52872	8722	2232	39027	1106	1785

2. **01.04.2022 से 31.03.2023 तक मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पोर्टल की स्थितिः**

क्रमांक सं0	अवधि	कुल शिकायतें	शिकायतों का निपटान	लंबित शिकायतें
1.	01.04.2022 से 31.03.2023	306	306	0

3. **समग्र ई–समाधान पोर्टलः**

क्रमांक सं0	शिकायत/मांग का प्रकार	कुल प्राप्त शिकायत/मांग	निस्तारित शिकायत/मांग	लंबित शिकायतें
1.	लोक शिकायत/मांग लंबित सारांश के अंतर्गत	13	13	0
2.	मुख्यमंत्री की घोषणा	10	8	2
3.	मुख्यमंत्री संदर्भ के अंतर्गत रोजगार संबंधी	1	1	0
4.	सी0पी0जी0आर0ए0एम0एस0	7	7	0
	कुल	31	29	2

4. **सूचना जनसंपर्क पोर्टलः**

- पोर्टल में 64 आईपीआर बनाये गये।
- आईपीआर पोर्टल में 54 विज्ञापन प्रकाशित किये गये।

5. **ई फॉर्मः**

- विभाग के डिजिटीकरण हेतु 45 आहरण एवं वित्तरण अधिकारियों के कार्यालयों को hp.gov.in domain पर ई–मैल आई डी बनाई गई।
- ई–आफिस के उपयोग के लिए 200 से अधिक कर्मचारियों के लिए hp.gov.in domain पर ई–मैल आई डी बनाई गई।

6. **पीएमआईएसः**

पीआईएमएस मूल रूप में सभी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का रखरखाव है, जिसे हर कार्यालय स्तर पर बनाए रखा जा रहा है। आईटी सेल राज्य स्तर पर प्रधान कार्यालय प्रशासक के रूप में पोर्टल की निगरानी कर रहा है।

7. **जेम पोर्टल (GeM):**

पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए सरकार के आदेशानुसार खरीद प्रणाली के आधुनिक तरीके जेम (GeM) पोर्टल में 24 कार्यालयों के 44 खाते बनाए गए।

8. **हिमस्वान कनैक्शन्ज/आईटी संबंधी उपकरणः**

चूंकि इंटरनेट सुविधा के बिना डिजिटलीकरण संभव नहीं है अतः विभाग के कार्य को आनलाईन करने हेतु 198 कार्यालयों में हिमस्वान कनैक्शन लगाने हेतु प्रयास किए गए जिसमें 120 कार्यालय आज इंटरनेट सुविधा से जुड़ चुके है। इस दिशा में प्रदेश के सभी कार्यालयों को निम्नलिखित आईटी संबंधी उपकरण उपलब्ध करवाए गए।

डैस्कटोपः	880
प्रिंटर	539
यू0पी0एस0	885
टैबलेटस्	423
वी0सी0 सिस्टम	13
वैब कैम	100

विभाग में चार आईटी लैब स्थापित करने हेतु निदेशालय, अतिरिक्त निदेशक कार्यालय धर्मशाला, जिला कांगड़ा, उप निदेशक कार्यालय मंडी और उप निदेशक शिमला कार्यालय के अंतर्गत पीसीडीओ अणु को 15–15 डैस्कटोप तथा यू0 पी0 एस0 उपलब्ध करवाए गए।

9. **विभागीय वेबसाईटः**

समय की मांग और आधुनिकीकरण के स्परूप को ध्यान में रखते हुए विभागीय वेबसाईट को अपडेट किया गया जिसमें विभाग की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, अनुदान, सुविधाओं इत्यादि की जानकारी www.eudyan.hp.gov.inपर उपलब्ध है।

अध्याय–19

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार दिनांक 15 जनू, 2005 से कानून का रूप ले चुका है, जो जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में दिनांक 12 अक्तूबर, 2005 से लागू किया गया है। इस अधिनियम की उप धारा (i) नियम 4 (I) (b) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदक वांछनीय सूचना प्राप्त करने के लिये शुल्क ₹10/– का पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट/चालान को पत्र के साथ जन सूचना अधिकारी को आवेदन कर सकता है। जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के सदस्यों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। आवेदन प्राप्ति के बाद जन सूचना अधिकारी 30 दिन के भीतर प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवायेगा। यदि आवेदक को निर्धारित समय सीमा में लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसके आवेदन पर लिया गया कोई फैसला प्राप्त न हो तो उस अवस्था में लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के खिलाफ सरकारी विभाग के अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। अपील लोक सूचना अधिकारी के आदेश प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर की जानी चाहिए। अपीलीय अधिकारी के फैसले से यदि आवेदक असन्तुष्ट है या फैसला अधिकतम 45 दिनों में नहीं लिया गया है उस स्थिति में आवेदक अपील के फैसले के 90 दिनों के अन्दर राज्य सूचना आयोग को दूसरी अपील कर सकता है। अपील दायर करने के लिये किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है तथा आदेश की कापी भी निःशुल्क प्राप्त होती है।

इस अधिनियम की उप धारा (i) नियम 6 (3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जब एक प्रार्थना पत्र को जन सूचना अधिकारी को सूचना के सन्दर्भ में भेजा जाता हैः

(i) जब उसे दूसरे जन सूचना अधिकारी द्वारा रखा जाता है

(ii) वह विषय जो उस कार्य से अधिक दूसरे जनसूचना अधिकारी से सम्बन्धित हो,

जन सूचना अधिकारी जिन्हें प्रार्थना पत्र व उसके भाग को दूसरे जन सूचना अधिकारी को उचित जगह स्थानान्तरित करेगा तथा शीघ्र ही आवेदक को स्थानान्तरण की सूचना देगा। आवेदन स्थानान्तरण की उप धारा के अनुसरण में शीघ्र अति शीघ्र जितना व्यवहारिक हो लेकिन कोई भी केस प्रार्थना पत्र की प्राप्ति से पांच दिन से अधिक न हो।

सूचना पाने के लिये निर्धारित शुल्कः

सूचना पाने के लिये निर्धारित शुल्क अदायगी चालान/बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टल ऑर्डर के रूप में की जाती है। जहां सूचना प्रकाशन मूल्य रूप में उपलब्ध है, वह प्रार्थी को मुद्रित मूल्य पर, ए–4 आकार या उससे छोटे पृष्ठ के लिये ₹2/– और बड़े आकार के पृष्ठ के लिये वास्तविक मूल्य न्यूनतम ₹20/– पर, इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में सूचना जैसे फलोपी के लिये ₹50/– व सी0 डी0 के लिये ₹100/– पर उपलब्ध तथा रिकॉर्ड निरीक्षण का शुल्क 30 मिनट या उसके भाग के लिये ₹20/– पर।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभाग से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर पर निदेशक उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 अपील प्राधिकारी हैं। जिनका ई–मेल पता horticul-hp@ nic.in है। निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक उद्यान, हिमाचल प्रदेश, नवबहार, शिमला–2 जन सूचना अधिकारी हैं, जिनका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य है। प्रदेश में जिला स्तर पर सम्बन्धित जिले के उप निदेशक उद्यान जन सूचना अधिकारी हैं। विभाग द्वारा वर्ष के दौरान 141 आवेदनों का निपटारा किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में प्राप्त आवेदनों का जिलावार ब्यौरा

क्र0सं0	जिले का नाम	ए.पी.एल.	बी.पी.एल.	विचाराधीन आवेदन	कुल आवेदन प्राप्त	प्राप्त राशि (₹)
1.	कुल्लू	07	–	07	07	220.00
2.	हमीरपुर	05	–	–	05	430.00
3.	बिलासपुर	07	06	–	13	210.00
4.	चम्बा	03	–	–	03	380.00
5.	सिरमौर	15	01	–	16	1060.00
6.	किन्नौर	–	–	–	–	–
7.	शिमला	08	–	–	08	610.00
8.	ऊना	–	–	–	–	–
9.	कांगड़ा	07	–	–	07	260.00
10.	मण्डी	07	–	01	07	100.00
11.	सोलन	04	–	–	04	460.00
12.	लाहौल–स्पीति	–	–	–	–	–
13.	उद्यान निदेशालय	–	02	–	71	2530.00
	कुल योग :	**63**	**9**	**8**	**141**	**6260.00**

अध्याय–20

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उप धारा (i) नियम 4 (I) (b) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना

(I)

<u>विभाग का संगठनात्मक ढांचा, कार्य तथा कर्त्तव्यों का विवरण</u>

विभाग प्रधान सचिव (उद्यान) हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है। निदेशक, उद्यान विभाग, विभाग के प्रमुख हैं तथा उनके साथ अतिरिक्त निदेशक उद्यान, संयुक्त निदेशक उद्यान, परियोजना निदेशक (समन्वयक), उप निदेशक उद्यान, विषय विशेषज्ञ उद्यान निदेशालय स्तर पर सहयोग हेतु कार्य करते हैं। विभाग में निम्न विशिष्ट संकाय स्थापित किए गए हैं :–

(i) सामान्य बागवानी
(ii) फल पौध पोषण
(iii) पौध संरक्षण
(iv) विपणन तथा फसलोत्तर प्रबन्धन
(v) फल विधायन व उपयोग
(vi) उद्यान अर्थ एवं सांख्यिकी
(vii) उद्यान सूचना सेवा
(viii) खुम्ब विकास
(ix) मौन पालन

विभाग के संगठनात्मक ढांचे से संबंधित सूचना **अनुलग्नक–क** व **ख** पर दर्शाई गई है।

विभाग के मुख्य कार्य :

I. सुधरी किस्मों के फल पौधों का उत्पादन एवं वितरण
II. नजदीकी केन्द्र से उद्यान उपकरणों की उचित दर पर आपूर्ति का प्रबन्ध करना
III. प्रसार एवं परामर्श सेवाओं का विस्तार

क. किसानों के लिये प्रशिक्षण द्वारा
ख. प्रदर्शन द्वारा
ग. परामर्श भ्रमण द्वारा
घ. साहित्य द्वारा
ङ. प्रदर्शनी एवं दृश्य–श्रव्य साधनों द्वारा
च. जन सम्पर्क माध्यमों के द्वारा

IV. निदान/तकनीकी सहायता सेवाओं का प्रदान करनाः

क. फल पौध पोषण प्रयोगशालाओं द्वारा
ख. प्लांट हैल्थ क्लीनिक द्वारा
ग. फसलोत्तर तथा गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाओं द्वारा

V. आधारभूत ढांचे की संरचना तैयार करनाः

क. फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यानों की स्थापना

ख. पुष्पोत्पादन केन्द्र तथा पौधशालाओं की स्थापना

ग. मौन पालन केन्द्रों की स्थापना

घ. जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना

ङ. पाश्च्युराइज़्ड कम्पोस्ट तथा स्पॉन बीज तैयार करने के लिये सुविधायें प्रदान करना

VI. सहायक (Ancillary) उद्यान गतिविधियों का विकास करना/बढ़ावा देनाः

क. मौन पालन

ख. खुम्ब उत्पादन

ग. पुष्पोत्पादन

VII. फसलोत्तर प्रबन्धन द्वाराः

क. बाजार भाव सूचना को एकत्र करना व प्रसारित करना

ख. बाजार का सर्वेक्षण

ग. मण्डी मध्यस्थ योजना एवं समर्थन मूल्य योजनाओं को लागू करना

घ. फल परिरक्षण में प्रशिक्षण

ङ. सामुदायिक डिब्बाबन्दी योजना

च. फल विधायन इकाईयों की स्थापना

VIII. उद्यान सम्बन्धी आंकड़ोंको एकत्रित करना व अनुरक्षण करनाः

IX. नियमित नियन्त्रणः

क. पौधशाला उत्पादन

ख. कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाइयों की गुणवत्ता

(II)

निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, निरीक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सहितः

अंक (II) में दर्शाई गई शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के आधार पर नामोनिर्दिष्ट अधिकारी अपने–अपने कार्यभार एवं कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित मामले अपने स्तर पर हल करते हैं। जो निर्णय उनकी शक्तियों के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें निदेशक उद्यान विभाग को प्रस्तुत किया जाता है तथा जो निर्णय सरकार द्वारा लिये जाने हैं, उन्हें निदेशक उद्यान विभाग के माध्यम से सरकार को भेजा जाता है। नामोनिर्दिष्ट अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में निरीक्षण की शक्तियां रखते हैं तथा अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी हैं।

(III)

विभाग द्वारा आम जनता एवं कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उद्यान तथा सम्बद्ध गतिविधियों पर अनेक प्रकाशन समय–समय पर प्रकाशित किए गए हैं जो इस प्रकार हैंः

I. Publication in English

(i) Free Publications:

1. Apple Spray Schedule
2. Hortivision 2020— National Seminar on Himalayan Horticulture
3. Operational Guidelines-Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)
4. Flower from Himalayan State Himachal Pradesh
5. Fruit and vegetable processing in Himachal Pradesh

(ii) Other Publications:

1. Standard Operating Procedures (SOPs) for Progeny-*cum*-Demonstration Orchards and Fruit Nurseries.
2. The Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration and Regulation Act, 2015
3. The Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration Rules, 1973

(iii) Priced Publications:

1. Fertilizing Fruit Crops in H.P. by Dr. K.C. Azad & Dr. R.P. Sharma ₹ 19/-
2. Cold Storage of Apples by S. Harbans Singh ₹ 1/-

II. हिन्दी के प्रकाशन

(क) निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशनः

(i) तकनीकी साहित्य का मुद्रणः

1. आम, नीम्बू प्रजाति के फल, लीची, बादाम एवं गुठलीदार फलों के रोगों एवं कीटों की रोकथाम हेतु छिड़काव सारणी
2. सेब के रोगों एवं कीटों की रोकथाम हेतु छिड़काव सारणी

3. हिमाचल प्रदेश में समन्वयक बागवानी विकास हेतु बागवानी मिशन के अन्तर्गत किसानों/बागवानों को दी जा रही सहायताएं एवं सुविधाएं
4. सेब के पुराने बागीचों का जीर्णोद्धार
5. हिमाचलप्रदेश में समन्वयक बागवानी विकास हेतु बागवानी मिशन
6. उद्यान विकास–तथ्य एवं आंकड़े

(ii) अन्य प्रकाशनों का मुद्रण

1. हिमाचल प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास हेतु बागवानी मिशन के अन्तर्गत किसानों/बागवानों को दी जा रही सहायताएं एवं सुविधाएं
2. फल पौध पोषण विवरण प्रपत्र
3. पत्ती विश्लेषण प्रपत्र
4. हिमाचल प्रदेश में सेब के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े
5. हिमाचल प्रदेश से अन्य उपोष्णदेशीय फलों के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े
6. हिमाचल प्रदेश में नीम्बू प्रजातीय फलों केनिर्यात सम्बन्धी आंकड़े
7. हिमाचल प्रदेश से अन्य उपोष्णदेशीय फलों के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े
8. प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष

(iii) हिन्दी के प्रकाशन:

(क) निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशन:

(i) तकनीकी साहित्य का मुद्रण:

1. विदेशों से आयातित फल पौधों की किस्मों का विवरण
2. सेब के पुराने बागीचों का जीर्णोद्धार
3. हिमाचल प्रदेश में समन्वयक बागवानी विकास हेतु बागवानी मिशन
4. उद्यान विकास–तथ्य एवं आंकड़े

(ii) अन्य प्रकाशनों का मुद्रण:

1. निविदा सूचनाओं का विभिन्न दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशन
2. रोजगार सम्बन्धी सूचनाओं का प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रकाशन
3. विज्ञापनों का विभिन्न समाचार–पत्रों, स्मारिकाओं तथा पत्रिकाओं में प्रकाशन
4. फूलों की मूल्य सूची

(ख) मूल्य पर उपलब्ध प्रकाशनः–हिमाचल प्रदेश में कीवी फल की बागवानी–डा0 जगमोहन सिंह एवं कमलशील नेगी ₹ 30/-

(IV)

विभाग द्वारा कार्य निष्पादन के लिये तय किए मानक

विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को मार्गदर्शिका के आधार पर तय मानकों के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। निदेशालय विभिन्न जिलों व क्षेत्रों में कार्यरत विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योाजनाओं के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को आबंटित करता है। इन भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की समीक्षा समय–समय पर विभाग द्वारा निदेशालय स्तर पर की जाती है। सरकार द्वारा प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा त्रैमासिक एवं वार्षिक की जाती है।

(V)

विभाग द्वारा कार्य निष्पादन के लिये प्रयुक्त किए जाने वाले कानून (ऐक्ट), निर्देश, मैनुअल, रिकॉर्ड इत्यादि का ब्यौराः

1. The Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration and Regulation Act, 2015
2. The Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration Rules, 1973
3. The Himachal Pradesh Agricultural Pests, Diseases and Noxious Weeds Act, 1969
4. कीटनाशी अधिनियम, 1968
5. फल पौधों का मूल्यांकन
6. एफ.आर.एस.आर
7. सी.सी.एस. व सी.सी.ए. रूल्ज़
8. जी पी एफ रूल्ज़
9. पैन्शन रूल्ज़
10. एच.पी.एफ.आर. रूल्ज़
11. मैडिकल अटैडेंस रूल्ज़
12. एच.बी.ए. एडवांस रूल्ज़
13. टी.ए.रूल्ज़
14. बजट मैनुअल
15. डैलिगेशन ऑफ फाईनैंशियल पावर रूल्ज़
16. ऑफिस मैनुअल

(VI)

विभाग द्वारा गठित बोर्ड, काउंसिल, कमेटी इत्यादि का विवरण

उद्यान विभाग द्वारा बागवानी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु निम्नलिखित बोर्ड, काउंसिल, कमेटी इत्यादि का गठन किया गया हैः

(a) Spray Schedule Committee - Consisting of 16 members
(b) State High Level Purchase Committee for purchase of Plant Protection Material and Equipments - Consisting of 8 members.

(c) Bee Keeping Advisory Committee for solving various problems regarding Migration, Management Practices, Disposal of Honey and other allied problems- Consisting of 8 officials and 4 non-officials members.

(d) State Level Steering Committee for implementation of Centrally Sponsored Scheme on Horticulture Mission for Integrated Development of Horticulture in H.P.- Consisting of 25 members.

(e) District Level Coordination Committee for implementation of Centrally Sponsored Scheme on Technology Mission for Integrated Development of Horticulture in H.P.- Consisting of 10 members.

(VII)

उद्यान विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनमानों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान 1–1–2016
	श्रेणी–I राजपत्रित	
1.	निदेशक उद्यान विभाग	148800-218600
2.	अतिरिक्त निदेशक उद्यान	123100-209600
3.	संयुक्त निदेशक उद्यान, परियोजना निदेशक	115000-207900
4.	उद्यान अर्थशास्त्री	107100-205100
5.	वरिष्ठ विपणन अधिकारी, वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी, वरिष्ठ विश्लेषण अधिकारी, फल प्रोद्योग विज्ञ, उप निदेशक उद्यान, विषय विशेषज्ञ उद्यान, उद्यान विकास अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी	48700-152400
6.	उप निदेशक विधि	53600-170100
7.	प्रशासनिक अधिकारी	53600-170100
	श्रेणी–2 राजपत्रित	
8.	छाया चित्रण अधिकारी, विधि अधिकारी	46000-146500
9.	अनुभाग अधिकारी, अधीक्षक ग्रेड–II, निजी सहायक	43000-136000
10.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	43000-136000
	श्रेणी–3	
11.	वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ आशुलिपिक	38500-122500
12.	सांख्यिकी सहायक	38500-122500
13.	छायाचित्रकार, पुस्तकालयाध्यक्ष,	35600-112800
14.	कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ आशुलिपिक, फोरमैन	28900-91600
15.	उद्यान प्रसार अधिकारी, क्षेत्रीय अन्वेषक, प्रदर्शक, वरिष्ठ वॉयलर सहायक	25600-81200
16.	चालक	21300-67800
17.	आशुटंकक, संगणक (कम्पयूटर), प्रयोगशाला सहायक, वॉयलर सहायक, कनिष्ठ तकनीशियन, प्रोजैक्टर ऑप्रेटर, मौन पालक, लिपिक, ग्लास ब्लोअर।	20200-64000
	श्रेणी–4	
18.	गैस्टेटनर आप्रेटर, दक्षमाली	18400-58500
19.	चपड़ासी, चौकीदार, बेलदार, क्लीनर, स्वीपर	18000-56900

(VIII)

विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दूरभाष नम्बर

क्र.सं.	अधिकारी/जनसूचना अधिकारी का पदनाम	फोन नम्बर/ई–मेल	फैक्स नम्बर
	राज्य मुख्यालय		
1.	निदेशक, उद्यान विभाग (अपील प्राधिकारी), सम्पूर्ण राज्य, हि0 प्र0।	0177–2842390 @ horticul-hp@nic.in	0177–2842389
2.	संयुक्त निदेशक उद्यान–I (परियोजना निदेशक, एकीकृत बागवानी विकास मिशन), हिमाचल प्रदेश।	0177–2841339 pd_htm@rediffmail.com	0177–2841389
3.	संयुक्त निदेशक उद्यान–II , हि0 प्र0	0177–2843975	–
4.	संयुक्त निदेशक उद्यान–III , हि0 प्र0	0177–2841309	
5.	उद्यान अर्थशास्त्री, हि0 प्र0	0177–2842147	–
6.	प्रशासनिक अधिकारी(जन सूचना अधिकारी), हि0 प्र0।	0177–2841484 @ horticul-hp@nic.in	0177–2841389
7.	उप निदेशक उद्यान (योजना), हि0 प्र0	0177–2841199	0177–2841199
8.	ई0पी0बी0 एक्स0 नम्बर	0177–2842773,–147	–
	उद्यान विपणन		
1.	वरिष्ठ विपणन अधिकारी, हि0 प्र0	0177–2841360	0177–2841360
	पौध संरक्षण		
1.	वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी, हि0 प्र0	0177–2844790	0177–2844790
2.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (जैव नियन्त्रण), रझाणा, शिमला–9.	0177–2842773	–
	क्षेत्रीय कार्यालय		
1.	अतिरिक्त निदेशक उद्यान (मुख्यालय) धर्मशाला	01892–228687	01892–222365

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला––912–उद्यान/2023–17–8–2023––120 पुस्तकें।